न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय, न्याय कक्ष संख्या–01, बुलन्दशहर।

उपस्थितः– शिवा नन्द,(एच०जे०एस०),

J-O- Code UP 1622

सत्र वाद संख्या–452/2015

(C.N.R. NO. UPBU01-004660-2015)

उ0 प्र0 राज्य ....**अभियोजन पक्ष।**

बनाम

कुलदीप उर्फ राजा पुत्र गजेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम इसनपुर, थाना खानपुर, जिला बुलन्दशहर। ....**अभियुक्त।**

शिकायतकर्ता	लियाकत अली
अभियोजन पक्ष की ओर से	श्री चंद्रभान सिंह श्री मनुराज सिंह, सहायक जिला शासकीय अधिवक्तागण (फौज0), बुलन्दशहर
अभियुक्त की ओर से	श्री ठाकुर अनिल कुमार सिंह, एडवोकेट
अन्तर्गत धारा	363, 366, 376, 302, 201 भारतीय दण्ड संहिता
मुकदमा अपराध संख्या	114/2013
पुलिस थाना	डिबाई
जिला	बुलन्दशहर
अपराध की तिथि	01–02–2013 से 14–02–2013
अपराध का समय	00.00 बजे
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	14–02–2023 समय 09:30 बजे
अभियुक्त के विरूद्ध प्रेषित आरोपपत्र पर प्रसंज्ञान की तिथि	01–07–2013
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचन की तिथि	19–06–2015
अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत करने की तिथि	21–05–2025 से 07–05–2026 तक
अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा–351 बी.एन.एस.एस. अंकित किये जाने की तिथि	13–05–2026
प्रतिरक्षा प्रस्तुत किये जाने की तिथि	––
अन्तिम बहस की तिथि	03–07–2026
निर्णय पारित किये जाने की तिथि	16–07–2026

Digitally signed by SHIVA NAND
Date: 2026.07.18 12:40:13 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई की तिथि	16—07—2026

निर्णय

1. सत्र वाद संख्या—452 सन् 2015, मुकदमा अपराध संख्या—114 सन 2013, राज्य बनाम कुलदीप, थाना डिबाई, जिला बुलन्दशहर के मामले में अभियुक्त कुलदीप के विरूद्ध आरोपपत्र पत्र संख्या—138/2013, अन्तर्गत धारा 363, 366, 376, 302, 201 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। उक्त आरोप पत्र पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा दिनॉक 01—07—2013 को अपराध का संज्ञान लेने के पश्चात सत्र सुपुर्दगी आदेश पारित किया गया, जो सत्र न्यायालय में सत्र वाद उपरोक्त के रूप में दर्ज हुआ तथा विधिनुसार निस्तारण हेतु अन्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

2. माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधि व्यवस्था **ललित यादव बनाम छतीसगढ़ राज्य SLP(Cri.) No-18436 सन 2015** में यह अभिनिर्धारित किया है कि—''Every attempt should be made by all courts not to disclose the identity of victim in terms of sec- 228A IPC." माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अन्य विधिक व्यवस्थाओ **ओमप्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2006 (4) सुप्रीम 313, प्रेमिया बनाम राजस्थान राज्य 2008 (63) एस.सी.सी 94 एस.सी., उड़ीसा राज्य बनाम सुकुरू गोडा ए.आई.आर. 2009 एस.सी. 1019 व निपुन सक्सेना बनाम भारत संघ (2019) 2 एस.सी.सी. 703** में भी यही मत प्रतिपादित किया गया है, तद्नुसार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत उपरोक्त विधि व्यवस्था में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुपालन में हस्तगत निर्णय में प्रकरण की भुक्तभोगी को "पीड़िता" शब्द से सम्बोधित किया गया है।

अभियोजन का पक्ष—

3. अभियोजन के अनुसार वादी लियाकत अली पुत्र निजामुद्दीन खॉ, निवासी ग्राम गोविन्दपुर, थाना डिबाई, जिला बुलन्दशहर ने चौकी इंचार्ज चौकी धरमपुर, थाना डिबाई जिला बुलन्दशहर को इस आशय की तहरीर दी कि— मैं लियाकत अली पुत्र निजामुद्दीन ग्राम गोविन्दपुर का रहने वाला हूँ। दिनांक—01.02.2013 को मेरी पुत्री मृतका/पीड़िता उम्र करीब 14—15 साल जो सुबह सोच करने लिये गयी थी। आज तक वापिस नहीं आयी है। जिस हुलिया ऑख, नाख, कान का औसत रंग गोरा, कपड़े लाल रंग के छापेदार पहने हुए है। काफी तलाश कर लिया अभी नहीं मिली है।

4. चन्द्रवीर सिंह पुत्र शंकर सिंह निवासी ग्राम जीवनपुर, थाना इगलाश ने थाना इगलाश पर तहरीर इस आशय की प्रस्तुत किया कि— प्रार्थी चन्द्रवीर सिंह पुत्र श्री शंकर सिंह निवासी ग्राम जीवनपुर थाना इगलाश का है तथा मौजूदा ग्राम प्रधान हूँ। मेरा चामुंडा मॉ के नाम से कोल्ड स्टोर तथा इससे थोड़ा आगे बेसवा की तरफ मेरा पट्टा है इन दोनो के बीच से बेसवा रोड से एक चकरोड उत्तर की तरफ जंगल में जाती है। सडक से करीब 300 मीटर चकरोड़ के किनारे खेत अतर सिंह भंवर सिंह निवासी ग्राम अमरपुर थाना इगलाश जनपद अलीगढ के पानी की नली में करीब 17—18 वर्ष की लडकी की लाश पड़ी है। इसके सिर व कनपटी के ऊपर दोनो तरफ चोट के निशान है। ऐसा मालूम हो रहा है कि लडकी की हत्या कहीं अन्य जगह पर करके लाश को कही डाल दिया है।

5. दिनांक–29.03.2013 को वादी लियाकत अली पुत्र निजामुद्दीन निवासी गोविन्दपुर, थाना डिबाई, जिला बुलन्दशहर पर इस आशय की तहरीर दी कि "मेरी पुत्री मृतका/पीड़िता दिनांक–01.02.2013 घर से लापता थी जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट मैंने दिनांक–06.02.2013 को पुलिस चौकी धर्मपुर थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर में दर्ज करायी थी। आज में अपने भाई जावेद व अपने रिश्तेदार नवाब पुत्र नसीर खॉ निवासी असरौली थाना अहमदगढ जिला बुलन्दशहर के साथ अपनी पुत्री की तलाश करता हुआ थाना इगलाश आया क्योंकि थाना इगलाश क्षेत्र में एक अज्ञात लडकी का शव मिलने की सूचना मिली थी। थाना इगलाश पर हम लोगो ने अज्ञात लडकी के फोटो को देखकर पहचान की है कि यह फोटो मेरी पुत्री मृतका/पीड़िता की ही है। हम लोगो ने अच्छी तरह पहचान कर ली है।

<u>पुलिस द्वारा की गयी विवेचना</u>–

6. वादी मुकदमा की गुमशुदगी एवं तहरीर **प्रदर्श क–1 व क–2** के आधार पर थाना डिबाई, जिला बुलन्दशहर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट, मुकदमा अपराध संख्या–114 सन 2013 अन्तर्गत धारा 363, 366, 376, 302, 201 भारतीय दण्ड संहिता अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

7. विवेचक द्वारा विवेचना ग्रहण करने के उपरान्त नकल चिक, नकल रपट, बयान चिक एफ.आई.आर. लेखक व वादी मुकदमा तथा गवाहों के बयान अंकित किये गये। वादी मुकदमा की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार तैयार किया। विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण ताज मौहम्मद उर्फ ताज, कुलदीप उर्फ राजा, कृष्णा, बिजेन्द्र व सद्दाम के विरूद्ध आरोपपत्र संख्या–138 सन 2013, अन्तर्गत धारा–363, 366, 376, 302, 201 भारतीय दण्ड संहिता में प्रेषित किया गया। मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण पत्रावली सत्र न्यायालय में विचारण हेतु सुपुर्द की गयी।

8. वर्तमान सत्र परीक्षण सं0–452/2015 मुकदमा अपराध संख्या–114 सन 2013 के अभियुक्त कुलदीप की पत्रावली अभियुक्त कुलदीप की लगातार अनुपस्थिति के कारण दिनॉक 25–09–2013 को पृथक कर दी गयी थी। उक्त अपराध से संबंधित मुख्य/मूल पत्रावली सत्र परीक्षण संख्या–834/2013, राज्य बनाम ताज मौहम्मद आदि में सहअभियुक्तगण ताज मोहम्मद, कृष्णा, बिजेन्द्र व सद्दाम को दिनॉक 08–05–2024 को विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय, न्याय कक्ष सं0–4, बुलन्दशहर द्वारा निर्णीत/दोषसिद्ध किया जा चुका है। जिसके विरूद्ध मान्नीय उच्च न्यायालय में कोई अपील लम्बित होने अथवा उक्त सत्र परीक्षण में पारित निर्णय को निरस्त करने संबंधी कोई कथन किसी भी पक्षकार की ओर से नहीं किया गया है और न ही इस संबंध में किसी भी पक्षकार की ओर से कोई साक्ष्य दिया गया है।

<u>अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचन</u> –

9. न्यायालय द्वारा दिनॉक 19–06–2015 को अभियुक्त कुलदीप के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को आरोप के बिन्दु पर विस्तारपूर्वक सुनने के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 363 सपठित धारा–34, 366 सपठित धारा–34, 376, 302 सपठित धारा–34, 201 सपठित धारा–34 भारतीय दण्ड संहिता प्रथम दृष्टया विचारण हेतु मामला पाते हुए

विरचित किया गया है। अभियुक्त को उक्त आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये गये। अभियुक्त ने विरचित आरोप से इन्कार किया तथा परीक्षण की मांग की।

10. अभियोजन पक्ष की ओर से **मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य** प्रस्तुत व प्रमाणित किये गये, जिनका क्रमबद्ध विवरण निम्न प्रकार हैः–

कम सं0	**साक्षी का नाम**	**साक्षी संख्या**	**साक्ष्य का दिनॉक**	**प्रलेखीय साक्ष्य / प्रदर्श संख्या–**
1	लियाकत, वादी मुकदमा	पी0डब्लू01	21–05–2025 से 13–11–2025 तक	गुमशुदगी प्रार्थना पत्र प्रदर्श क–1, तहरीर प्रदर्श क–2
2	इरशाद	पी0डब्लू02	14–07–2025	तथ्य का साक्षी
3	अम्बिका प्रसाद भारद्वाज, विवेचक	पी0डब्लू03	04–10–2025	आरोप पत्र प्रदर्श क–3
4	सेवाराम शर्मा, उप–निरीक्षक	पी0डब्लू04	20–01–2026	गुमशुदगी व तरमीम प्रदर्श क–4, जी0डी0 प्रदर्श क–5, प्रदर्श क–6
5	विशम्बर सिंह, उप–निरीक्षक	पी0डब्लू05	02–02–2026	चिक एफ0आई0आर0 प्रदर्श क–7, जी0डी0 प्रदर्श क–8, प्रदर्श क–9
6	डॉ0 प्रमोद कुमार	पी0डब्लू06	16–03–2026	परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श क–10
7	डॉ0 मनोज कुमार श्रीवास्तव	पी0डब्लू07	19–03–2026	पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–11
8	रामदरश यादव, डी0एस0पी0	पी0डब्लू08	30–03–2026	नक्शा नजरी प्रदर्श क–12, पंचायतनामा प्रदर्श क–13, चालान लाश प्रदर्श क–14, चिट्ठी फिंगर प्रिंट प्रदर्श क–15, चिट्ठी आर0आई0 प्रदर्श क–16, चिट्ठी सी0एम0ओ0 प्रदर्श क–17, फोटो नाश प्रदर्श क–18, फर्द खून आलूदा प्रदर्श क–19

11. अभियोजन की तरफ से इनके अतिरिक्त अन्य कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियोजन के अनुरोध पर अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया।

<u>अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 351 बी.एन.एस.एस.</u>

12. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात् अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 351 बी.एन.एस.एस. अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को गलत कहा है। पी0डब्लू01 के बयान के बाबत कहा है कि गलत है, मुझे जानकारी नहीं है। पी0डब्लू02 के बयान के बाबत कहा है कि झूॅठा बयान दिया है। पी0डब्लू03 के बयान के बाबत कहा है कि अभियुक्त के विरूद्ध गलत तथ्यों के आधार पर झूॅठी चार्जशीट पेश की गयी है। पी0डब्लू04 के बयान के बाबत कहा है कि जानकारी नहीं है। पी0डब्लू05 के बयान के बाबत कहा है कि जानकारी नहीं है। पी0डब्लू06 के बयान के बाबत कहा है कि जानकारी नहीं है। पी0डब्लू07 के बयान के बाबत कहा है कि जानकारी नहीं है। पी0डब्लू08 के बयान के बाबत कहा है कि जानकारी नहीं है। अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा क्यों चला उक्त प्रश्न के उत्तर में कथन किया है कि साजिशन झूॅठा फंसा दिया। सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया है तथा कुछ और कहना है के प्रश्न के उत्तर में कथन किया है कि

प्रार्थी / अभियुक्त को इस घटना में झूँठा, रंजिशन फंसा दिया है। प्रार्थी / अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है।

13. बचाव पक्ष की तरफ से कोई मौखिक या अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

14. अभियुक्त की ओर से अपने बचाव के समर्थन में निम्नलिखित विधि व्यवस्थायें प्रस्तुत की गयी हैः–

1. 2024 (2) AAR 1070 (SC) Jagvir Singh Vs State of U.P.

2. 2026 (1) AAR 626 (SC) Nagamma @ Nagarathna and Others Vs State of Karnataka.

3. Criminal Appeal No. 2899 of 2003 Arvind Kumar & others Vs State of U.P.

4. Criminal Appeal No. 1892 of 2017 Satpal Vs State of Haryana.

5. 2023(1) AAR 572 (HC) Km. Sandhya Singh & Others Vs State of U.P.

उक्त विधिक व्यवस्थाओं का ससम्मान परिशीलन किया गया। प्रस्तुत विधिक व्यवस्थाओं में अंर्तवलित मामले के तथ्य इस सत्र वाद में अंर्तवलित तथ्यों से भिन्न हैं अतः उक्त विधिक व्यवस्थाओं में पारित विधि इस सत्र वाद में लागू नहीं की जा सकती है।

15. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्तागण (फौजदारी) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

16. अभियोजन को अपने साक्ष्य से साबित करना है कि दिनॉक 01–02–2013 को समय सुबह के समय घटनास्थल ग्राम गोविन्दपुर थाना डिबाई, जिला बुलन्दशहर में अभियुक्त कुलदीप उर्फ राजा द्वारा अन्य अभियुक्तगण ताज मौहम्मद उर्फ ताज, कृष्णा, बिजेन्द्र व सद्दाम के साथ मिलकर एक राय होकर वादी लियाकत अली की नाबालिग पुत्री जो शौच के लिए गयी थी, का उसके माता–पिता की संरक्षणता से व्यपहरण कर लिया गया और अभियुक्त द्वारा उक्त अभियुक्तगण के साथ मिलकर एक राय होकर वादी लियाकत अली की नाबालिग पुत्री का अयुक्त संभोग करने के आशय से व्यपहरण कर ले जाया गया। दिनॉक 01–02–2013 से दिनॉक 14–02–2013 के मध्य किसी समय स्थान अज्ञात पर अभियुक्त कुलदीप उर्फ राजा द्वारा वादी लियाकत अली की नाबालिग पुत्री के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध बलात्संग किया गया और दिनॉक 01–02–2013 से दिनॉक 14–02–2013 के मध्य किसी समय किसी स्थान पर अभियुक्त द्वारा अन्य अभियुक्तगण ताज मौहम्मद उर्फ ताज, कृष्णा, बिजेन्द्र व सद्दाम के साथ मिलकर एक राय होकर साशय व ज्ञानपूर्वक वादी लियाकत अली की नाबालिग पुत्री की हत्या की गयी और दिनॉक 01–02–2013 से दिनॉक 14–02–2013 के मध्य किसी समय किसी स्थान पर अभियुक्त कुलदीप उर्फ राजा द्वारा अन्य अभियुक्तगण ताज मौहम्मद उर्फ ताज, कृष्णा, बिजेन्द्र व सद्दाम के साथ मिलकर एक राय होकर वादी मुकदमा की पुत्री की हत्या करके साक्ष्य का विलोपन करने के उद्देश्य से उसके शव को अतर सिंह पुत्र भंवर सिंह, निवासी ग्राम अमरपुर, थाना इगलास, जिला अलीगढ़ के खेत में फेंक दिया गया।

17. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि मुकदमा अपराध संख्या–114 / 2013, धारा–363, 366, 376, 302, 201 भारतीय दण्ड संहिता, थाना डिबाई, जिला बुलन्दशहर में अन्य अभियुक्तगण ताज मौहम्मद उर्फ ताज, कृष्णा, बिजेन्द्र व सद्दाम के मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय, न्यायालय

कक्ष सं0–4, बुलन्दशहर द्वारा सत्र परीक्षण सं0–834/2013 में निर्णय दिनॉकित 08–05–2024 पूर्व में ही पारित किया जा चुका है जिसकी प्रति अभियोजन की ओर से दाखिल की गयी है और अभियोजन की ओर से अनुरोध किया गया है कि निर्णय पारित करते समय उक्त निर्णय दिनॉकित 08–05–2024 में अंकित साक्ष्य को भी दृष्टिगत रखा जाये। जिस पर बचाव पक्ष की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गयी है। **भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बचाव पक्ष की अनापत्ति के दृष्टिगत इसी मुकदमा अपराध संख्या–114/2013, धारा–363, 366, 376, 302, 201 भारतीय दण्ड संहिता, थाना डिबाई, जिला बुलन्दशहर में अन्य अभियुक्तगण ताज मौहम्मद उर्फ ताज, कृष्णा, बिजेन्द्र व सद्दाम के मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय, न्यायालय कक्ष सं0–4, बुलन्दशहर द्वारा निर्णय दिनॉकित 08–05–2024 की न्यायिक अवेक्षा किया जाना न्यायसंगत होगा।**

18. अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू01 लियाकत वादी मुकदमा** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मेरे कुल 06 बच्चे थे। मृतका सबसे छोटी बेटी थी। घटना 1 फरवरी 2013 की है। घटना के समय मृतका की आयु करीब 15–16 साल की थी। घटना वाले दिनॉक 01–02–2013 को सुबह 06:00 बजे के करीब मेरी पुत्री शौच के लिए मेरे खेतों की ओर जंगल में गयी थी। मेरे घर के सामने की ओर मेरे खेत हैं। जहॉ लोग अकसर शौच के लिए चले जाते थे। शौच करके जब वह जब लौटकर नहीं आयी, उसे काफी तलाश किया लेकिन वह नहीं मिली तो मैंने उसकी गुमशुदगी की सूचना का प्रार्थना पत्र पुलिस चौकी में दिया था। मैंने जो तहरीर पुलिस चौकी में दिया था उस पर मैंने हस्ताक्षर किये थे। उक्त गुमशुदगी का प्रार्थना पत्र पत्रावली पर मेरे सामने कागज सं0–55ए के नाम से सत्यापित प्रतिलिपि के रूप में मौजूद है। उस पर प्रदर्श क–1 अंकित किया जाता है। करीब एक डेढ़ महीने पश्चात् अभियुक्त सद्दाम व ताज मौहम्मद के ताऊ व घर वाले खेलिया के प्रधान शौकत खॉ के पास पहुॅचे और कहा कि हमने को मार चुके हैं, अब जैसे भी हो सके आप इन लोगों से हमारा फंद कटवा दो। शौकत खॉ ने पूछा कि तुमने लड़की कहॉ मारकर डाली है तो उस पर ताज मौहम्मद व उसके परिवार वालों ने बताया कि तुम्हारी लड़की को हम लोगों ने इगलास की तरफ जाकर फेंका था। इगलास थाने जाकर मालूम कर लो। शौकत खॉ ने ये सारी बात उसी दिन मुझे बतायी थी। मैं स्वयं अपने परिवार के लोगों के साथ उसी दिन 12 बजे करीब थाना इगलास पहुॅच गये थे। तारीख मुझे आज याद नहीं है। हमने एस0ओ0 साहब इगलास से पूछा था कि 12 या 13 फरवरी को किसी लड़की की डैडबॉडी आपके क्षेत्र में आपको मिली थी तो एस0ओ0 साहब ने हमें मृतक लड़की का फोटोग्राफ दिखाया तो वो फोटो हिना परवीन का फोटो था। हमने पहचान लिया था। मैंने उसी दिन प्रार्थना पत्र थाना इगलास पर नवाब अली से लिखवाकर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु दिया था। पत्रावली पर आज मेरे सामने वह प्रार्थना पत्र 33ए/56 के रूप में मौजूद है। उस पर प्रदर्श क–2 अंकित किया जाता है। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

18.1 मुकदमा अपराध संख्या–114/2013, धारा–363, 366, 376, 302, 201 भारतीय दण्ड संहिता, थाना डिबाई, जिला बुलन्दशहर में अन्य अभियुक्तगण ताज मौहम्मद उर्फ ताज, कृष्णा, बिजेन्द्र व सद्दाम के मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय, न्यायालय कक्ष सं0–4, बुलन्दशहर द्वारा सत्र परीक्षण सं0–834/2013 में पारित निर्णय दिनॉकित 08–05–2024 में उक्त साक्षी के बयानों को अंकित करते हुए विद्वान न्यायालय द्वारा अंकित किया गया है कि *''**साक्षी लियाकत पी०डब्लू० 1** ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि*

मृतका/पीड़िता मेरी बेटी थी। दिनांक–1 फरवरी, सन् 13 की बात है। सुबह करीब 6:00 बजे शौच के लिए गई थी। फिर जब वह वापस नहीं आई तो ढूंढा तलाश की लेकिन वह कही नहीं मिली उस समय उसकी उम्र 16 वर्ष थी। इसकी गुमशुदगी की सूचना मैंने प्रार्थना–पत्र देकर धर्मपुर पुलिस चौकी को दी थी। दिनांक–06.02.2013 को पुलिस चौकी धर्मपुर एस.एस.पी. कार्यालय बुलन्दशहर से जी.डी. न्यायालय में पेश की गई। उसमें संलग्न तहरीर वादी को देखकर गवाह ने कहा कि यह वही तहरीर है जो मैंने धर्मपुर चौकी पर 6 फरवरी 2013 को दी थी यह मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। तहरीर को पत्रावली पर दाखिल किया गया तथा तहरीर पर प्रदर्श क–1 डाला जाता है। करीब एक–डेढ़ महीने बाद ताज व ताज के घर वाले ग्राम खेलिया के प्रधान शौकत खॉ के यहॉ पहुॅचे और उनसे कहा कि हम लड़की मृतका/पीड़िता को तो मार चुके है जैसा भी हो सके आप इन लोगो से हमारा फंद कटवा दो। शौकत खॉ ने पूछा कि लड़की कहा मार कर डाली है तो ताज व उसके परिवार वालो ने बताया कि लड़की इगलाश की तरफ मारकर डाली है। इगलाश थाना जाकर मालूम करे। हम उसी दिन थाना इगलाश पहुॅच गय थे। तारीख याद नहीं है। हमने एस.ओ. इगलाश से पूछा था कि 12 या 13 तारीख कोई आपको डेड बॉडी मिली है तो एस.ओ. ने हमें हमारी लड़की का फोटो दिखाया जो हमने पहचान लिया था। इस साक्षी ने प्रार्थना–पत्र को प्रदर्श क–2 के रूप में साबित किया गया। बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में उपरोक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में किये गये कथन की पुनरावृत्ति की तथा दौरान जिरह अपने मुख्य परीक्षा में किये गये कथन पर कायम रहा। उपरोक्त साक्षी द्वारा दौरान जिरह किये गये कथन में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया तथा ऐसा कोई तथ्य उजागर नहीं हुआ जिससे कि उपरोक्त साक्षी के कथानक पर किसी प्रकार की संदेहास्पद परिस्थिति का निमार्ण होता हो। इस साक्षी ने जो भी प्रासंगिक तथ्य उजागर किये हैं उनका विश्लेषण इस निर्णय में उचित स्थान पर उल्लिखित किया गया है'।

18.2 उक्तानुसार इस साक्षी की साक्ष्य के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि यह वादी मुकदमा है। इस साक्षी ने अपने बयानों घटना को साबित करते हुए गुमशुदगी प्रदर्श क–1 व तहरीर प्रदर्श क–1 को साबित किया है। बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में किये गये अधिकतर कथन अखण्डित/पुष्ट रहे हैं। साथ ही साथ सत्र परीक्षण सं0–834/2013 में निर्णय दिनॉकित 08–05–2024 में भी विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय, कक्ष सं0–4, बुलन्दशहर द्वारा कमोबेश यही निष्कर्ष दिया गया है जिसकी न्यायिक अवेक्षा किया जाना न्यायसंगत होगा।

19. अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू02 इरशाद अली** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मेरी ससुराल गॉव गोविंदपुर थाना डिबाई में है। मेरे बड़े साले का नाम लियाकत है। दिनॉक 12–02–2013 को मैं दोपहर 03:00 बजे करीब सासनी गेट चौराहे पर अपने साथी कासिम के साथ चाय पी रहा था। कासिम मेरे साथ कपड़े का व्यापार करता था। जब हम चाय पी रहे थे, उसी समय एक मारूति वैन चाय की दुकान के पास आकर रूकी थी। उसमें 06 लोग बैठे थे। वैन में ताज मौहम्मद, सद्दाम, बिजेन्द्र, कुलदीप, कृष्णा और मृतका/पीड़िता जो कि मेरे साले की लड़की थी बैठे थे। ये लोग उतरकर आपस में बातचीत कर रहे थे। मैंने इनकी बातें सुनी थी। इन लड़कों की उम्र उस समय 20–30 वर्ष की थी। इन्होंने बातचीत में कहा था कि मृतका/पीड़िता को मथुरा लेकर चलते हैं। फिर ये लोग

उसी मारूति वैन में बैठकर मथुरा रोड की तरफ चले गये थे। मैं और कासिम उसके बाद अपने घर को आ गये थे। पुलिस ने मुझे करीब एक डेढ महीने बाद क्वारसी थाना बुलाया था। पुलिस वालों ने मुझे मृतका/पीड़िता का फोटो दिखाकर पूछताछ की थी तो मैंने पुलिस को बताया कि यह मेरे साले की लड़की है। दरोगाजी ने मेरा बयान लिया था। मैंने चाय पीने सासनी गेट पर करीब तीन–साढ़े तीन बजे का वाक्या है। मैंने दरोगाजी को पूरी बात बता दी थी।

19.1 मुकदमा अपराध संख्या–114/2013, धारा–363, 366, 376, 302, 201 भारतीय दण्ड संहिता, थाना डिबाई, जिला बुलन्दशहर में अन्य अभियुक्तगण ताज मौहम्मद उर्फ ताज, कृष्णा, बिजेन्द्र व सद्दाम के मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय, न्यायालय कक्ष सं0–4, बुलन्दशहर द्वारा सत्र परीक्षण सं0–834/2013 में पारित निर्णय दिनॉकित 08–05–2024 में उक्त साक्षी के बयानों को अंकित करते हुए विद्वान न्यायालय द्वारा अंकित किया गया है कि ''***साक्षी इरशाद अली पी०डब्लू० 9*** *ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि दिनांक–12.02.2013 समय दोपहर 3:00 बजे मैं और कासिम सासनी गेट चौराहे पर चाय पी रहे थे। वही पर एक मारूती वेन आकर रूकी जिसमें 6 लोग थे। उनके साथ मेरे साले की लडकी मृतका/पीड़िता साथ थी। हाजिर अदालत मुल्जिमान ताज मौहम्मद, सद्दाम, बिजेन्द्र, कुलदीप, कृष्णा को देखकर साक्षी ने कहा कि मृतका/पीड़िता को मैंने इनके साथ सासनी गेट चौराहे पर देखा था। वहॉ ये लोग मृतका/पीड़िता को लेकर मथुरा जाने की बात कर रहे थे। फिर ये लोग मारूती वेन में बैठकर मृतका/पीड़िता को लेकर मथुरा रोड की तरफ चले गये थे। मैं और कासिम उसके बाद अपने घर आ गए थे। उसके बाद 15–20 दिन बाद मुझे क्वारसी थाना बुलवाया गया था। उन्होने मुझे लडकी का फोटो दिखा कर पूछा था कि ये कौन है तो मैंने बताया कि ये मेरे साले साहब की लड़की मृतका/पीड़िता है। मेरे वही पर दरोगा जी ने बयान लिये थे। मैंने दरोगा जी को वे सारी बात बताई जो मैंने देखा। मेरे बयान के बाद मुझे भेज दिया। उपरोक्त साक्षी वर्तमान प्रकरण में एक महत्वपूर्ण साक्षी है जिसने अभियुक्तगण ताज मौहम्मद, सद्दाम, बिजेन्द्र व कृष्णा द्वारा मृतका को कार में ले जाते हुए देखे जाने का कथन किया है उपरोक्त साक्षी से अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा पृथक रूप से जिरह भी की गयी जिसमें उपरोक्त साक्षी ने कथन किया कि मृतका/पीड़िता को उसने अभियुक्तगण के साथ 10–12 कदम की दूरी से देखा था। उपरोक्त साक्षी घटना के अन्तिम दृष्टया साक्षी की श्रेणी में आता है जिसके द्वारा अंकित कराये गये कथन का विस्तृत विश्लेषण इस निर्णय के प्रासंगिक भाग में किया गया है''।*

19.2 उक्तानुसार इस साक्षी की साक्ष्य के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि यह साक्षी तथ्य का साक्षी है। इस साक्षी ने अपने बयानों से अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में किये गये अधिकतर कथन अखण्डित/पुष्ट रहे हैं। साथ ही साथ सत्र परीक्षण सं0–834/2013 में निर्णय दिनॉकित 08–05–2024 में भी विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय, कक्ष सं0–4, बुलन्दशहर द्वारा कमोबेश यही निष्कर्ष दिया गया है जिसकी न्यायिक अवेक्षा किया जाना न्यायसंगत होगा।

20. अभियोजन की ओर से कहा गया है कि सत्र परीक्षण सं0–834/2013 में परीक्षित कराये गये अन्य साक्षी पी0डब्लू02 शौकत अली की मृत्यु हो गयी है और

उक्त सत्र परीक्षण में उनके द्वारा दिया गया बयान अत्यंत महत्वपूर्ण साक्ष्य है। न्यायालय उक्त बयान को संज्ञान में लेकर न्याय करने की कृपा करे। जिस पर बचाव पक्ष की ओर से कोई तात्विक आपत्ति नहीं की गयी है। इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है कि मुकदमा अपराध संख्या–114/2013, धारा–363, 366, 376, 302, 201 भारतीय दण्ड संहिता, थाना डिबाई, जिला बुलन्दशहर में अन्य अभियुक्तगण ताज मौहम्मद उर्फ ताज, कृष्णा, बिजेन्द्र व सद्दाम के मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय, न्यायालय कक्ष सं0–4, बुलन्दशहर द्वारा सत्र परीक्षण सं0–834/2013 में पारित निर्णय दिनॉकित 08–05–2024 में अन्य साक्षी ***शौकत अली पी०डब्लू० 2*** के बयानों को अंकित करते हुए विद्वान न्यायालय द्वारा अंकित किया गया है कि *"**साक्षी** ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि मैं इस मुकदमे के वादी लियाकत अली व उनकी पुत्री मुकदमे की मृतका मृतका/पीड़िता को जानता हूँ। फरवरी में दूसरे हफ्ते में 2013 की बात है। करीब 11:00 बजे दिन में अपने घेर पर सुलेमान व छतरपाल के साथ बैठा हुआ था उस समय अभियुक्तगण ताज मौहम्मद, सद्दाम, कुलदीप, बिजेन्द्र पहुॅचे। ताज मौहम्मद ने मुझे सलाम किया और यह कहा कि हम लोगो पर बहुत बड़ी गलती हुई है। आप गॉव के प्रधान रहे है और पुलिस से आपकी अच्छी बैठ उठ है। हमसे ये गलती हुई है कि एक फरवरी 2013 को हम यानि ताज मौहम्मद, गोविन्दपुर मृतका/पीड़िता के गॉव पहुॅचा और सुबह को मृतका/पीड़िता शौच के लिए आयी थी मैं उसे अपनी गाड़ी में लेकर शिकारपुर आ गया और शिकारपुर में ताज मौहम्मद के साथ–साथ अभियुक्त बिजेन्द्र, कुलदीप, कृष्णा, सन्दीप और सद्दाम भी रहने लगे। मैं किसी काम के लिए बाहर गया तो मृतका/पीड़िता के साथ इन पॉचो अभियुक्तगण ने बलात्कार किया। जब मृतका/पीड़िता बलात्कार से परेशान हो गयी तो उसने कहा या तो मुझे छोड़ दो नहीं तो मैं अपने बाप व पुलिस से कहूॅगी तो ताज मौहम्मद ने कहा चलो तुम्हे ताज महल दिखा लाऊ और ताजमहल दिखाने के बहाने इगलाश के जंगल में ले जाकर गोली मारकर मृतका/पीड़िता को हत्या कर दी। हत्या इसलिए कर दी क्योंकि मृतका/पीड़िता ने अपने मॉ बाप को बताने व पुलिस को बताने की धमकी दी थी। इसलिए हमने उसको मार दिया। मृतका/पीड़िता दूसरे गॉव अपनी ननसाल में रहती थी, आती जाती भी रहती थी। ताज मौहम्मद की ननसाल भी धूसरी में थी और वहॉ पर ताज मौहम्मद का आना जाना था वही से दोनो एक दूसरे से प्यार करने लगे। बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में उपरोक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में किये गये कथन की पुनरावृत्ति की तथा दौरान जिरह अपने मुख्य परीक्षा में किये गये कथन पर कायम रहा उपरोक्त साक्षी द्वारा अंकित कराया गया बयान साक्षी पी.डब्लू.–01 के कथन से पूर्णतः समरूप है तथा साक्षी द्वारा दौरान जिरह किये गये कथन में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया तथा ऐसा कोई तथ्य उजागर नहीं हुआ जिससे कि उपरोक्त साक्षी के साक्ष्य पर किसी प्रकार की संदेहास्पद परिस्थिति का निमार्ण होता हो। इस साक्षी ने जो भी प्रासंगिक तथ्य उजागर किये हैं उनका विश्लेषण इस निर्णय में उचित स्थान पर उल्लिखित किया गया है"।*

20-*1* न्यायहित में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के दृष्टिगत अभियोजन की ओर से किये गये अनुरोध पर बचाव पक्ष की अनापत्ति के आलोक में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के भाग–2 के दृष्टिगत उक्त साक्षी शौकत अली द्वारा इस

मुकदमा अपराध संख्या से संबंधित दूसरे सत्र परीक्षण में दिये गये बयान की न्यायिक अवेक्षा किया जाना न्यायसंगत पाया जाता है।

21. अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू03 अम्बिका प्रसाद भारद्वाज** रिटायर्ड डी0एस0पी0 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनॉक 25–04–2013 को मैं बतौर प्रभारी थाना डिबाई में नियुक्त था। उसी दिन मेरे द्वारा अपराध संख्या–114/2013, धारा–363, 366, 376, 302, 201 भा0द0सं0 बनाम ताज मौहम्मद आदि मेरे द्वारा ग्रहण की गयी थी। मेरे द्वारा उक्त अभियोग के विवेचक श्री श्यामवीर सिंह द्वारा अंकित अभियोग दैनिकी का अवलोकन किया गया। इस अभियोग की अपहृता/मृतका का शव थाना इगलास जिला अलीगढ़ के क्षेत्र में वेशमा व गोरई के मध्य सड़क के किनारे बरामद हुआ था जिसके संबंध में थाना इगलास पर अपराध सं0–111/2013, धारा–302, 201 भा0द0सं0 बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना प्रभारी इगलास श्री रामदरस यादव द्वारा की गयी थी। उनके द्वारा वेजाईनल स्पीयर स्लाईड की पैथोलॉजिकल रिपोर्ट पॉजिटिव (स्परमेटाजोआ) सीन होने पर उनके द्वारा धारा–376 भा0दं0सं0 की वृद्धि की गयी थी। मृतका के पिता को पता चलने पर थाना इगलास जाकर मृतका का फोटो देखकर उसकी पहचान सत्यापित होने पर समस्त अभियोग की केस डायरी द्वारा उचित माध्यम थाना डिबाई पर प्राप्त हुई। अभियोग दैनिकी का अवलोकन करने के उपरांत थाना डिबाई पर धारा–376, 302, 201 भा0दं0सं0 की वृद्धि की गयी। दिनॉक 03–05–2013 को अभियुक्त ताज मौहम्मद, कुलदीप, कृष्णा व संदीप जो थाना सलेमपुर के अभियेाग धारा लूटपाट अभियोग में जेल में निरूद्ध थे, जिनके 167 सी0आर0पी0सी0 के वारंट जारी करने हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की। अभियोग के साक्षीगण, फर्द के गवाहान के बयान अंकित किये। अभियुक्तगण ताज मौहम्मद, कुलदीप, कृष्णा, संदीप, बिजेन्द्र व सद्दाम के विरूद्ध अपराध धारा–363, 366, 376, 302, 201 भारतीय दण्ड संहिता पूर्ण रूप से प्रमाणित होने पर दिनॉक 02–06–2013 को कागज सं0–33ए/31 को देखकर साक्षी ने कहा कि यह आरोप पत्र मेरे द्वारा तैयार किया गया, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। इस पर प्रदर्श क–3 अंकित किया गया।

21.1 मुकदमा अपराध संख्या–114/2013, धारा–363, 366, 376, 302, 201 भारतीय दण्ड संहिता, थाना डिबाई, जिला बुलन्दशहर में अन्य अभियुक्तगण ताज मौहम्मद उर्फ ताज, कृष्णा, बिजेन्द्र व सद्दाम के मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय, न्यायालय कक्ष सं0–4, बुलन्दशहर द्वारा सत्र परीक्षण सं0–834/2013 में पारित निर्णय दिनॉकित 08–05–2024 में उक्त साक्षी के बयानों को अंकित करते हुए विद्वान न्यायालय द्वारा अंकित किया गया है कि *''उक्त पी०डब्लू० 4 का बयान बतौर औपचारिक गवाह अंकित कराया गया है जिसके द्वारा आरोप–पत्र **प्रदर्श क–4** को भी न्यायालय में साबित किया गया। उपरोक्त साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा भी की गयी परन्तु प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई तथ्य उजागर नहीं हुआ जिससे अभियोजन कथानक पर सन्देह हेतु किसी प्रकार की परिस्थिति निर्मित होती हो''।*

21.2 इस साक्षी की साक्ष्य की समीक्षा से स्पष्ट होता है कि उक्त साक्षी इस मुकदमे का विवेचक है और उसने अपनी साक्ष्य से विवेचना कार्यवाही को साबित किया है तथा अभियुक्त के विरूद्ध प्रेषित आरोप पत्र प्रदर्श क–8 को साबित किया है। बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में किये गये अधिकतर कथन अखण्डित/पुष्ट रहे हैं। साथ ही साथ सत्र

परीक्षण सं0—834 / 2013 में निर्णय दिनॉकित 08—05—2024 में भी विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय, कक्ष सं0—4, बुलन्दशहर द्वारा कमोबेश यही निष्कर्ष दिया गया है जिसकी न्यायिक अवेक्षा किया जाना न्यायसंगत होगा।

22. अभियोजन साक्षी पी0डब्लू04 सेवानिवृत्त उप—निरीक्षक सेवाराम शर्मा ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनॉक 01—02—2013 को लियाकत अली द्वारा रिर्पोटिंग चौकी धर्मपुर पर अपनी पुत्री की गुमशुदगी की तहरीर दी थी। उस समय मैं धर्मपुर चौकी पर सी0सी0 के पद पर कार्यरत था। उस तहरीर को मेरे द्वारा नकल रपट—8 समय 09:00 ए0एम0 पर इंद्राज किया गया, जो बाद में दिनॉक 10—03—2013 को एस0आई0 श्यामवीर सिंह की वापसी में मुकदमा तरमीम का आदेश मुझे दिया गया, जिसकी तरमीम रपट नंबर—16 समय 19:20 बजे अपराध सं0—114 / 2013, धारा—363, 366 भा0दं0सं0 में किया गया। उक्त गुमशुदगी व तरमीम की थाना हाजा की मुहर लगी छायाप्रति मेरे सामने है, जिस पर प्रदर्श क—4 डाला गया। इस पर पूर्व में प्रदर्श क—17 डाला जा चुका है। उक्त मुकदमे की गुमशुदगी का खुलासा पत्रावली पर कागज सं0—59ए / 1 मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। इस पर प्रदर्श क—5 डाला गया, जिस पर पूर्व में प्रदर्श क—18 के रूप में साबित किया गया था। उक्त मुकदमे की तरमीम मेरे द्वारा दिनॉक 10—03—2013 को रपट नंबर—16 पर खुलासा किया गया था जो पत्रावली पर कागज सं0—59ए / 2 है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। इस पर प्रदर्श क—6 डाला गया जो पूर्व में प्रदर्श क—19 के रूप में डाला जा चुका है।

22.1 मुकदमा अपराध संख्या—114 / 2013, धारा—363, 366, 376, 302, 201 भारतीय दण्ड संहिता, थाना डिबाई, जिला बुलन्दशहर में अन्य अभियुक्तगण ताज मौहम्मद उर्फ ताज, कृष्णा, बिजेन्द्र व सद्दाम के मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय, न्यायालय कक्ष सं0—4, बुलन्दशहर द्वारा सत्र परीक्षण सं0—834 / 2013 में पारित निर्णय दिनॉकित 08—05—2024 में उक्त साक्षी के बयानों को अंकित करते हुए विद्वान न्यायालय द्वारा अंकित किया गया है कि *''पी०डब्लू० 8 का बयान बतौर औपचारिक गवाह अंकित कराया गया है जिसके द्वारा प्रदर्श क—17 ता 19 को भी न्यायालय में साबित किया गया। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त साक्षी द्वारा मृतका की गुमशुदगी की रिपोर्ट वादी मुकदमा द्वारा थाने में दिये जाने की पुष्टि की गयी है। उपरोक्त साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा भी की गयी परन्तु प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई तथ्य उजागर नहीं हुआ जिससे अभियोजन कथानक पर सन्देह हेतु किसी प्रकार की परिस्थिति निर्मित होती हो''।*

22.2 इस साक्षी की साक्ष्य की समीक्षा से स्पष्ट होता है कि इस साक्षी के द्वारा वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर चिक एफ.आई.आर. पर किता की गयी है। साक्षी ने चिक एफ.आई.आर.व मुकदमा कायमी की जी.डी. को न्यायालय के समक्ष सशपथ बयान से साबित किया है। बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में किये गये अधिकतर कथन अखण्डित / पुष्ट रहे हैं। साथ ही साथ सत्र परीक्षण सं0—834 / 2013 में निर्णय दिनॉकित 08—05—2024 में भी विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय, कक्ष सं0—4, बुलन्दशहर द्वारा कमोबेश यही निष्कर्ष दिया गया है जिसकी न्यायिक अवेक्षा किया जाना न्यायसंगत होगा।

23. अभियोजन साक्षी पी0डब्लू05 सेवानिवृत्त उप—निरीक्षक विशम्बर सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनॉक 14—02—2013 को मैं थाना इगलास पर

थाना कार्यालय पर बतौर सी0सी0 तैनात था। उस दिन मैंने वादी चंद्रवीर सिंह की तहरीर के आधार पर चिक दस्तोजी पुलिस नंबरिंग 53/2013, अपराध संख्या–111/2013, धारा–302, 201 भा0दं0सं0 बनाम अज्ञात पंजीकृत की थी, जिसका खुलासा रपट संख्या–21 समय 09:30 ए0एम0 पर रोजनामचा आम में किया था। पत्रावली पर कागज सं0–45 व 46 को देखकर साक्षी ने कहा कि यह वही चिक है जो मेरे द्वारा किता की गयी थी, जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया, जिस पर पूर्व में प्रदर्श क–14 डाला गया और जी0डी0 कार्बन प्रति पर प्रदर्श क–8 डाला गया, जिस पर पूर्व में प्रदर्श क–15 डाला जा चुका है। जी0डी0 सं0–21 समय 09:30 ए0एम0 दिनॉक 14–02–2013 पर प्रदर्श क–9 और इस पर पूर्व में प्रदर्श क–15 डाला जा चुका है। विवेचक ने मेरा उसी दिन बयान लिया था।

23.1 मुकदमा अपराध संख्या–114/2013, धारा–363, 366, 376, 302, 201 भारतीय दण्ड संहिता, थाना डिबाई, जिला बुलन्दशहर में अन्य अभियुक्तगण ताज मौहम्मद उर्फ ताज, कृष्णा, बिजेन्द्र व सद्दाम के मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय, न्यायालय कक्ष सं0–4, बुलन्दशहर द्वारा सत्र परीक्षण सं0–834/2013 में पारित निर्णय दिनॉकित 08–05–2024 में उक्त साक्षी के बयानों को अंकित करते हुए विद्वान न्यायालय द्वारा अंकित किया गया है कि *'' पी०डब्लू० 7 का बयान बतौर औपचारिक गवाह अंकित कराया गया है जिसके द्वारा प्रदर्श क–14 ता 16 को भी न्यायालय में साबित किया गया। उपरोक्त साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा भी की गयी परन्तु प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई तथ्य उजागर नहीं हुआ जिससे अभियोजन कथानक पर सन्देह हेतु किसी प्रकार की परिस्थिति निर्मित होती हो''।*

23.2 इस साक्षी की साक्ष्य की समीक्षा से स्पष्ट होता है कि इस साक्षी के द्वारा चन्द्रवीर सिंह की तहरीर के आधार पर चिक एफ.आई.आर. पर किता की गयी है। साक्षी ने चिक एफ.आई.आर.व मुकदमा कायमी की जी.डी. को न्यायालय के समक्ष सशपथ बयान से साबित किया है। बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में किये गये अधिकतर कथन अखण्डित/पुष्ट रहे हैं। साथ ही साथ सत्र परीक्षण सं0–834/2013 में निर्णय दिनॉकित 08–05–2024 में भी विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय, कक्ष सं0–4, बुलन्दशहर द्वारा कमोबेश यही निष्कर्ष दिया गया है जिसकी न्यायिक अवेक्षा किया जाना न्यायसंगत होगा।

24. **अभियोजन साक्षी पी0डब्लू06 डाक्टर प्रमोद कुमार** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनॉक 20–02–2013 को मैं मलखान सिंह जिला चिकित्सालय, अलीगढ़ में सीनियर कंसलटेंट पैथोलॉजिस्ट के पद पर तैनात था। अपराध सं0–111/2012, धारा– 302, 201 भा0दं0सं0 से संबंधित अज्ञात मृतक महिला जिसका पी0एम0आर0 नंबर–147/2013 दिनॉक 17–02–2013 को मोर्चरी अलीगढ़ में हुआ था। उक्त अज्ञात महिला की दो वैजाईनल स्पीयर स्लाईड परीक्षण हेतु भेजी गयी जिसे सी0सी0 प्रेमनाथ लेकर आये थे। वैजाईनल स्पीयर का स्लाईट परीक्षण किया गया। उसमें स्परमेटोजोआ (शुक्राणु) मौजूद थे। इसकी रिपोर्ट नंबर–554/2013 दिनॉक 20–02–2013 था। यह रिपोर्ट पत्रावली पर 33ए/54 जो मेरे हस्तलेख में है। जो मेरे द्वारा पूर्व में सत्र वाद सं0–834/2013, बनाम ताज मौहम्मद में मेरे द्वारा प्रदर्श क–20 के रूप में साबित की गयी थी। यह उसकी छायाप्रति है। इस पर प्रदर्श क–10 डाला गया।

24.1 मुकदमा अपराध संख्या–114/2013, धारा–363, 366, 376, 302, 201 भारतीय दण्ड संहिता, थाना डिबाई, जिला बुलन्दशहर में अन्य अभियुक्तगण ताज मौहम्मद उर्फ ताज, कृष्णा, बिजेन्द्र व सद्दाम के मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय, न्यायालय कक्ष सं0–4, बुलन्दशहर द्वारा सत्र परीक्षण सं0–834/2013 में पारित निर्णय दिनॉकित 08–05–2024 में उक्त साक्षी के बयानों को अंकित करते हुए विद्वान न्यायालय द्वारा अंकित किया गया है कि *" अभियोजन कथानक के अनुसार मृतका के साथ अभियुक्तगण द्वारा मृत्यु पूर्व बलात्कार किया गया जिसकी विनिर्दिष्ट सम्पुष्टि उपरोक्त साक्षी के कथन से इस प्रकार होती है कि उपरोक्त साक्षी द्वारा अंकित कराये गये कथन में यह तथ्य सम्पुष्टि किया गया है कि मृतका के शरीर पर मृत शुक्राणु मौजूद थे। इस प्रकार अभियोजन कथानक की पुष्टि चिकित्सीय साक्षी के साक्ष्य से पूर्णतः होती है जिससे कि अभियोजन कथानक को और अधिक बल मिलता है"।*

24.2 इस साक्षी की साक्ष्य की समीक्षा से स्पष्ट होता है कि इस साक्षी के द्वारा मृतका की वैजाईनल स्पीयर का स्लाईट परीक्षण किया गया है और उक्त साक्षी ने अपने बयानों से उक्त रिपोर्ट को न्यायालय के समक्ष सशपथ बयान से साबित किया है। बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में किये गये अधिकतर कथन अखण्डित/पुष्ट रहे हैं। साथ ही साथ सत्र परीक्षण सं0–834/2013 में निर्णय दिनॉकित 08–05–2024 में भी विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय, कक्ष सं0–4, बुलन्दशहर द्वारा कमोबेश यही निष्कर्ष दिया गया है जिसकी न्यायिक अवेक्षा किया जाना न्यायसंगत होगा।

25. अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू07 डाक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनॉक 17–02–2013 को मैं रेडियोलॉजिस्ट के पद पर मलखान सिंह जिला चिकित्सालय में तैनात था। उस दिन मेरे द्वारा अज्ञात मृतका का शव लाया गया था। मृतक की उम्र लगभग 18 वर्ष लम्बाई 4 फिट 6 इंच सिर के बाल 39 से0मी0 काले, पैर के निचले तलवे की लम्बाई 8 x 2.30 इंच थी। जबड़े में दॉत 15/15 थे। मृतका का शव सामान्य कद काठी का था। उसके शरीर से अकड़न जा चुकी थी। मृत्यु पूर्व चोटों का विवरण– 1– एल0डब्लू0 3 x 2 से0मी0 दाहिने कान के पीछे। चोट के नीचे की हिस्से की हड्डी टूटी हुई थी। घाव के मार्जन्स इंर्वटेड काले थे। घाव के पास के बाल झुलस गये थे। 2–एल0डब्लू0 6 x 4 से0मी0 उल्टे कान से ढाई सेमी दूर था। इसके किनारे इर्वटेड थे। उसके नीचे की हड्डी टूटी हुई थी। लोहे की पतली स्लाईड डालने पर दोनों चोटें क्रम में थी। आंतरिक परीक्षण मृतका की खोपड़ी की हड्डियॉ टूटी हुई थी। दिमाग की झिल्लियॉ फटी हुई थी। हृदय में लगभग आधा हृदय दायीं तरफ खून से भरा था और बायीं तरफ खाली था। शरीर के अन्य आंतरिक अंगों पर कोई चोट नहीं दिख रही थी। गर्भाशय खाली था। जननांग का बाह्य परीक्षण– मृतक की योनि की झिल्ली हाईमन फटी हुई थी। लगभग दो उॅगलियों का डिटैक्टेड था। मेरे द्वारा दो वैजाईनल स्पीयर बनाये गये तथा उन्हें सील करके संबंधित पुलिस को दे दिया गया। मृतका की मृत्यु का कारण अत्याधिक रक्त स्राव से होना पायी गयी। मृतका की मृत्यु पोस्टमार्टम करने से लगभग 3 दिन पूर्व होना पाया गया। पुलिस प्रपत्र व मृतका का शव से संबंधित सामान पुलिस को सौंप दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गयी थी। मृतका की मृत्यु फायर आर्म इंजरी से अत्याधिक रक्त स्राव होने से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–11 है।

25.1 मुकदमा अपराध संख्या–114/2013, धारा–363, 366, 376, 302, 201 भारतीय दण्ड संहिता, थाना डिबाई, जिला बुलन्दशहर में अन्य अभियुक्तगण ताज मौहम्मद उर्फ ताज, कृष्णा, बिजेन्द्र व सद्दाम के मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय, न्यायालय कक्ष सं0–4, बुलन्दशहर द्वारा सत्र परीक्षण सं0–834/2013 में पारित निर्णय दिनॉकित 08–05–2024 में उक्त साक्षी के बयानों को अंकित करते हुए विद्वान न्यायालय द्वारा अंकित किया गया है कि *"उपरोक्त साक्षी के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मृतका की मृत्यु सिर पर आग्नेयास्त्र से गोली मारे जाने के कारण हुयी है इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया जिससे की उपरोक्त साक्षी द्वारा मुख्य परीक्षा में किये गये कथन को नकारा जा सके। अभियोजन कथानक के अनुसार भी मृतका के सिर पर आग्नेयास्त्र से गोली मारे जाने के कारण कारित होना अंकित कराया गया है जिसकी विनिर्दिष्ट सम्पुष्टि उपरोक्त चिकित्सक द्वारा भी की गयी है। इस प्रकार अभियोजन कथानक की पुष्टि चिकित्सीय साक्षी के साक्ष्य से पूर्णतः होती है जिससे कि अभियोजन कथानक को और अधिक बल मिलता है"।*

25.2 इस साक्षी की साक्ष्य की समीक्षा से स्पष्ट होता है कि इस साक्षी के द्वारा मृतका का पोस्टमार्टम किया गया है और उक्त साक्षी ने अपने बयानों से मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को न्यायालय के समक्ष सशपथ बयान से साबित किया है। बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में किये गये अधिकतर कथन अखण्डित/पुष्ट रहे हैं। साथ ही साथ सत्र परीक्षण सं0–834/2013 में निर्णय दिनॉकित 08–05–2024 में भी विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय, कक्ष सं0–4, बुलन्दशहर द्वारा कमोबेश यही निष्कर्ष दिया गया है जिसकी न्यायिक अवेक्षा किया जाना न्यायसंगत होगा।

26. अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू08 रामदरश यादव रिटायर्ड डिप्टी एस0पी0** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनॉक 14–02–2013 को अपराध संख्या–111/2013 की विवेचना मेरे द्वारा ग्रहण की गयी थी और उस दिन पर्चा नंबर–1 किता किया गया था। मैं प्रभारी निरीक्षण के पद पर तैनात था। उस दिन बयान लेखक, बयान वादी केस डायरी में अंकित कर घटनास्थल पर गया था। मौके पर मृतका अज्ञात का शर्व, ईट, मलवा कोल्ड स्टोर के बीच कच्ची नाली में मृत अवस्था में पड़ा था। मौके पर काफी लोग इकट्ठा था। पंचांग नियुक्त कर पंचायतनामा के तथ्यों व निर्देशों को समझकर एल0सी0 मंजू सिंह के द्वारा पर्दा का लिहाज करते हुए एस0आई0 संसार सिंह राठी से मेरे द्वारा बोल–बोलकर पंचायतनामा की संपूर्ण कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण करायी गयी। तत्पशचात् अज्ञात शव को कपड़े में रखकर सर्वे मोहर कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मौके का नक्शा नजरी प्रदर्श क–12 तैयार किया, जिस पर पूर्व में प्रदर्श क–6 भी पड़ा हुआ है। मृतका का पंचायतनामा मेरे द्वारा बोल–बोलकर भरवाया गया था, जो प्रदर्श क–13 है जिस पर पूर्व में प्रदर्श क–7 डाला गया। चालान लाश पर प्रदर्श क–14 डाला गया, जिस पर पूर्व में प्रदर्श क–8 डाला जा चुका है। चिट्ठी पेपर फिंगर प्रिंट पर प्रदर्श क–15 डाला गया, जिस पर पूर्व में प्रदर्श क–9 डाला जा चुका है। चिट्ठी आर0आई0 पर प्रदर्श क–16 डाला गया, जिस पर पूर्व में प्रदर्श क–10 डाला जा चुका है। चिट्ठी सी0एम0ओ0 पर प्रदर्श क–17 डाला गया, जिस पर पूर्व में प्रदर्श क–11 डाला जा चुका है। फोटो नाश पर प्रदर्श क–18 डाला गया जिस पर पूर्व में प्रदर्श क–12 डाला जा चुका है। फर्द खून आलूदा सादा मिट्टी पर प्रदर्श क–19 डाला गया, जिस पर पूर्व में प्रदर्श क–13 डाला जा चुका है।

26.1 मुकदमा अपराध संख्या–114/2013, धारा–363, 366, 376, 302, 201 भारतीय दण्ड संहिता, थाना डिबाई, जिला बुलन्दशहर में अन्य अभियुक्तगण ताज मौहम्मद उर्फ ताज, कृष्णा, बिजेन्द्र व सद्दाम के मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय, न्यायालय कक्ष सं0–4, बुलन्दशहर द्वारा सत्र परीक्षण सं0–834/2013 में पारित निर्णय दिनॉकित 08–05–2024 में उक्त साक्षी के बयानों को अंकित करते हुए विद्वान न्यायालय द्वारा अंकित किया गया है कि *'' उक्त पी०डब्लू० 6 का बयान बतौर औपचारिक साक्षी अंकित कराया गया है जिसके द्वारा प्रदर्श क–6 ता प्रदर्श क–13 को भी न्यायालय में साबित किया गया। उपरोक्त साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा भी की गयी परन्तु प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई तथ्य उजागर नहीं हुआ जिससे अभियोजन कथानक पर सन्देह हेतु किसी प्रकार की परिस्थिति निर्मित होती हो''।*

26.2 इस साक्षी की साक्ष्य की समीक्षा से स्पष्ट होता है कि उक्त साक्षी इस मुकदमे का विवेचक है और उसने अपनी साक्ष्य से विवेचना कार्यवाही को साबित किया है और नक्शा नजरी, पंचायतनामा, चालान लाश, चिट्ठी पेपर फिंगर प्रिंट, चिट्ठी आर0आई0, चिट्ठी सी0एम0ओ0, फोटो नाश, फर्द खून आलूदा सादा मिट्टी को न्यायालय के समक्ष साबित किया है। बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में किये गये अधिकतर कथन अखण्डित/पुष्ट रहे हैं। साथ ही साथ सत्र परीक्षण सं0–834/2013 में निर्णय दिनॉकित 08–05–2024 में भी विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय, कक्ष सं0–4, बुलन्दशहर द्वारा कमोबेश यही निष्कर्ष दिया गया है जिसकी न्यायिक अवेक्षा किया जाना न्यायसंगत होगा।

27. अभियोजन की तरफ से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन कथानक के समर्थन में अभियोजन द्वारा कुल 08 साक्षी परीक्षित कराये गये हैं, जिनमें से पी0 डब्लू01 वादी मुकदमा लियाकत अली ने अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए, स्वयं द्वारा थाना पर दी गयी गुमशुदगी रिपोर्ट व तहरीर को प्रदर्श क–1 व प्रदर्श क–2 के रूप में साबित किया है तथा तथ्य के अन्य साक्षी पी0डब्लू02 इरशाद द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है। इसके अतिरिक्त औपचारिक साक्षी पी0डब्लू03 द्वारा आरोप पत्र प्रदर्श क–3 को साबित किया गया है। पी0डब्लू04 द्वारा गुमशुदगी व तरमीम रिपोर्ट प्रदर्श क–4, जी0डी0 प्रदर्श क–5 व प्रदर्श क–6 को साबित किया गया है। पी0डब्लू05 द्वारा चिक एफ0आई0आर0 प्रदर्श क–7 व जी0डी0 प्रदर्श क–8, प्रदर्श क–9 को साबित किया है। पी0डब्लू06 द्वारा वैजाईनल सैम्पल रिपोर्ट प्रदर्श क–10 को साबित किया गया है। पी0डब्लू07 द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–11 को साबित किया गया है। पी0डब्लू08 द्वारा नक्शा नजरी प्रदर्श क–12, पंचायतनामा प्रदर्श क–13, चालान लाश प्रदर्श क–14, चिट्ठी पेपर फिंगर प्रिंट प्रदर्श क–15, चिट्ठी आर0आई0 प्रदर्श क–16, चिट्ठी सी0एम0ओ0 प्रदर्श क–17, फोटो नाश प्रदर्श क–18, फर्द खून आलूदा सादा मिट्टी प्रदर्श क–19 को साबित किया है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अपने साक्ष्य से युक्ति–युक्त संदेह से परे यह साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त कुलदीप द्वारा मृतका के साथ मृत्यु पूर्व बलात्कार किया गया जिसकी विनिर्दिष्ट सम्पुष्टि उपरोक्त साक्षी के कथन से इस प्रकार होती है कि उपरोक्त साक्षी द्वारा अंकित कराये गये कथन में यह तथ्य सम्पुष्टि किया गया है कि मृतका के शरीर पर मृत शुक्राणु मौजूद थे। इस प्रकार अभियोजन कथानक की पुष्टि चिकित्सीय साक्षी के साक्ष्य से पूर्णतः होती है

जिससे कि अभियोजन कथानक को और अधिक बल मिलता है। इस प्रकार अभियोजन द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने की मॉग की गयी।

28. इसके विपरीत **बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा** कथन किया गया कि प्राथमिकी में घटना का कोई समय अंकित नहीं है, कथित घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज कराई गयी है। घटना में समस्त अभियोजन साक्षीगण सगे सम्बन्धी व हितबद्ध साक्षी हैं तथा साक्षीगण के कथन में विरोधाभाष है। अभियोजन द्वारा घटना का कोई हेतुक भी सिद्ध नहीं किया गया है। हस्तगत प्रकरण में घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल की बरामदगी ना होना भी घटना को संदेहास्पद बनाता है। घटना में अभियुक्तगण का नाम न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के आधार पर प्रकाश में आये है जिन पर विश्वास किया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रस्तुत मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है किन्तु परिस्थितियों की ऐसी कोई अटूट श्रंखला निर्मित नहीं होती है जिसमें केवल और केवल अभियुक्तगण द्वारा ही मृतक की हत्या किया जाना साबित हो। विवेचक द्वारा गलत विवेचना की गयी है। पी0डब्लू01 चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। अभियुक्त का कोई जुर्म स्वीकारोक्ति बयान नहीं है। अभियुक्त का नाम उक्त मुकदमे में करीब तीन माह बाद आया है। अभियुक्त की कोई शिनाख्त नहीं करायी गयी है। अभियुक्त का कोई डी0एन0ए0 परीक्षण नहीं कराया गया है। प्राथमिकी में अंकित तथ्यों तथा वादी मुकदमा व अन्य साक्षीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये बयानों में विरोधाभाष है, अभियुक्त निर्दोष है, अभियुक्त के द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है। अभियोजन पक्ष सम्पुष्ट साक्ष्यों से अभियुक्त पर आरोपित अपराध को साबित करने में असफल रहा है, अतः अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी।

29. उभयपक्षों के तर्कों को सुना एवं उभयपक्ष के तर्कों के आधार पर इस मामले में निम्न अवधार्य प्रश्न उत्पन्न होता हैः–

''क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त कुलदीप के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 363 सपठित धारा–34, 366 सपठित धारा–34, 376 सपठित धारा–34, 302 सपठित धारा–34, 201 सपठित धारा–34 भारतीय दण्ड संहिता युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है?''

30. अभियोजन पक्ष का यह दायित्व है कि अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध के आवश्यक तत्व को विश्वसनीय साक्ष्य के माध्यम से युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करें। यदि अभियोजन पक्ष अपने इस दायित्व में विफल रहता है तो इसका लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिए।

31. अवधार्य प्रश्न में सन्निहित बिन्दुओं पर उभय पक्ष के तर्कों पर उचित स्थानों पर विचार किया जायेगा।

अभियोजन की तरफ से परीक्षित साक्षियों के साक्ष्य का मूल्यांकन निम्नवत हैः–

32. **बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान प्रथमतः** यह आक्षेप उठाया गया है कि प्राथमिकी काफी विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण अभियोजन द्वारा नहीं दिया गया है, जिससे अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है। **उपरोक्त तर्क का खण्डन करते हुए सहायक जिला शासकीय**

अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत मामले की घटना दिनॉक 01.02.2013 की है। घटना घटित होने के तुरन्त बाद वादी द्वारा अपनी पुत्री पीड़िता/मृतका को आसपास, रिश्तेदारी में काफी तलाश किया गया। जब वह नहीं मिली तब वादी द्वारा प्राथमिकी थाने पर दी गयी है। अभियोग पंजीकृत कराये जाने में हुए कुछ विलम्ब का का समुचित स्पष्टीकरण वादी मुकदमा द्वारा न्यायालय के समक्ष सशपथ बयान में दिया गया है। उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के प्रकाश में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन किया गया।

32.1 इस सम्बन्ध में **पी0 डब्लू01 लियाकत अली** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना 1 फरवरी 2013 की है। घटना वाले दिनॉक 01–02–2013 को सुबह 06:00 बजे के करीब मेरी पुत्री शौच के लिए मेरे खेतों की ओर जंगल में गयी थी। मेरे घर के सामने की ओर मेरे खेत हैं। जहॉ लोग अकसर शौच के लिए चले जाते थे। शौच करके जब वह जब लौटकर नहीं आयी, उसे काफी तलाश किया लेकिन वह नहीं मिली तो मैंने उसकी गुमशुदगी की सूचना का प्रार्थना पत्र पुलिस चौकी में दिया था। मैंने जो तहरीर पुलिस चौकी में दिया था उस पर मैंने हस्ताक्षर किये थे। उक्त गुमशुदगी का प्रार्थना पत्र पत्रावली पर मेरे सामने कागज सं0–55ए के नाम से सत्यापित प्रतिलिपि के रूप में मौजूद है। उस पर प्रदर्श क–1 अंकित किया जाता है। करीब एक डेढ़ महीने पश्चात् अभियुक्त सद्दाम व ताज मौहम्मद के ताऊ व घर वाले खेलिया के प्रधान शौकत खॉ के पास पहॅुचे और कहा कि हमने को मार चुके हैं, अब जैसे भी हो सके आप इन लोगों से हमारा फंद कटवा दो। शौकत खॉ ने पूछा कि तुमने लड़की कहॉ मारकर डाली है तो उस पर ताज मौहम्मद व उसके परिवार वालों ने बताया कि तुम्हारी लड़की को हम लोगों ने इगलास की तरफ जाकर फेंका था। इगलास थाने जाकर मालूम कर लो। शौकत खॉ ने ये सारी बात उसी दिन मुझे बतायी थी। मैं स्वयं अपने परिवार के लोगों के साथ उसी दिन 12 बजे करीब थाना इगलास पहॅुच गये थे। तारीख मुझे आज याद नहीं है। हमने एस0ओ0 साहब इगलास से पूछा था कि 12 या 13 फरवरी को किसी लड़की की डैडबॉडी आपके क्षेत्र में आपको मिली थी तो एस0ओ0 साहब ने हमें मृतक लड़की का फोटोग्राफ दिखाया तो वो फोटो हिना परवीन का फोटो था। हमने पहचान लिया था। मैंने उसी दिन प्रार्थना पत्र थाना इगलास पर नवाब अली से लिखवाकर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु दिया था। पत्रावली पर आज मेरे सामने वह प्रार्थना पत्र 33ए/56 के रूप में मौजूद है। उस पर प्रदर्श क–2 अंकित किया जाता है।

32.2 पी0डब्लू04 सेवाराम शर्मा सेवानिवृत्त उप–निरीक्षक ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनॉक 01–02–2013 को लियाकत अली द्वारा रिर्पोटिंग चौकी धर्मपुर पर अपनी पुत्री की गुमशुदगी की तहरीर दी थी। उस समय मैं धर्मपुर चौकी पर सी0सी0 के पद पर कार्यरत था। उस तहरीर को मेरे द्वारा नकल रपट–8 समय 09:00 ए0एम0 पर इंद्राज किया गया, जो बाद में दिनॉक 10–03–2013 को एस0आई0 श्यामवीर सिंह की वापसी में मुकदमा तरमीम का आदेश मुझे दिया गया, जिसकी तरमीम रपट नंबर–16 समय 19:20 बजे अपराध सं0–114/2013, धारा–363, 366 भा0दं0सं0 में किया गया। उक्त गुमशुदगी व तरमीम की थाना हाजा की मुहर लगी छायाप्रति मेरे सामने है, जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया। इस पर पूर्व में प्रदर्श क–17 डाला जा चुका है। उक्त मुकदमे की गुमशुदगी का खुलासा पत्रावली पर कागज सं0–59ए/1 मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। इस पर प्रदर्श क–5 डाला गया, जिस पर पूर्व में प्रदर्श क–18 के रूप में साबित किया गया था। उक्त मुकदमे की तरमीम मेरे द्वारा दिनॉक

10–03–2013 को रपट नंबर–16 पर खुलासा किया गया था जो पत्रावली पर कागज सं0–59ए/2 है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है।

32.3 इस सन्दर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था **हरिप्रसाद बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2024) 2 एस0सी0सी0 557 व कमल प्रसाद बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2023) 10 एस0सी0सी0 172** अवलोकनीय है, जिसमें यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि अभियुक्तगण की अपराध में संलिप्तता से सम्बन्धित पत्रावली पर सशक्त एवं सकारात्मक साक्ष्य उपलब्ध हो तो प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखे जाने में विलम्ब और प्रथम सूचना रिपोर्ट न्यायालय को प्रेषित करने में हुए विलम्ब मात्र के आधार पर अभियोजन का कथानक अविश्वसनीय नहीं हो जाता है। **राव साहेब बनाम कर्नाटक राज्य (2023) 5 एस0सी0सी0 391** व **मध्य प्रदेश राज्य बनाम छयाकी लाल ए0आई0आर0 2019 एस0सी0 381** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि किसी मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने में विलम्ब हुआ है अथवा नहीं, प्रत्येक मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने में यदि विलम्ब होता है तो यह हमेशा अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं होगा, बल्कि यह देखा जायेगा कि क्या विलम्ब का सन्तोषजनक स्पष्टीकरण दिया गया है अथवा नहीं। इस प्रकार अभियोजन की तरफ से प्राथमिकी देरी से दर्ज होने का समुचित स्पष्टीकरण उपलब्ध है, इस सन्दर्भ में विधि व्यवस्था **मुकेश बनाम एन0सी0टी0 दिल्ली एवं अन्य ए0आई0आर0 2017 एस0सी0 2161** एवं **श्योराम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1998) 1 एस0सी0सी0 149** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु कोई विशेष समयावधि निर्धारित नहीं है। मात्र देरी के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अविधिक नहीं मानी जा सकती और न ही मात्र देरी के आधार पर अभियोजन कथानक से इन्कार किया जा सकता है। यदि देरी का स्पष्ट रूप से कारण न्यायालय के समक्ष आधार पर बताया गया है तो उसे अभियोजन के विरूद्ध नहीं माना जा सकता है।

32.4 माननीय न्यायालयों द्वारा विलम्ब से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने सन्दर्भ में उपरोक्त सन्दर्भित निर्णयों में सम्प्रेक्षित सिद्धान्तों से यह सुस्थापित है कि महज प्रथम सूचना रिपोर्ट के दर्ज होने में कुछ विलम्ब होने पर अभियोजन कथानक को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता। यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्तानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में हुई देरी का सहज व स्वाभाविक स्पष्टीकरण अभियोजन साक्ष्य में उपलब्ध है, अतः बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्क में कोई बल नहीं पाया जाता है, जबकि विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0) के तर्क में विधिक बल पाया जाता है।

33. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि घटना में समस्त अभियोजन साक्षीगण सगे सम्बन्धी व हितबद्ध साक्षी है तथा साक्षीगण के कथन में विरोधाभाष है। अभियोजन की ओर से इसका विरोध करते तर्क किया गया कि साक्षियों के साक्ष्य अधिक महत्वपूर्ण हैं ना कि उनका मृतका से संबंध। वर्तमान प्रकरण में साक्ष्य की गुणवत्ता पर बल दिया जाना अधिक महत्वपूर्ण है। उक्त तर्कों के प्रकाश में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का सम्यक अवलोकन किया जिसका विश्लेषण न्यायालय द्वारा स्थापित विधि व्यवस्थाओं के आलोक में करना समीचीन होगा।

<u>विधि व्यवस्था :</u>

– रंजित सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2011 (एस.सी.) पेज 255, तथा :– गणेश शमरू अण्डेकर बनाम महाराष्ट्र राज्य 2017 (2) क्राईमस 42 एस.सी. में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि *इस सम्बन्ध में विधि बिल्कुल सुनिश्चित है कि सम्बन्धी साक्षियों के परिसाक्ष्य को केवल सम्बन्ध के आधार पर अविश्वसनीय करार नहीं दिया जा सकता, उनके परिसाक्ष्य को सजगता से परीक्षित किया जाना ही एक मात्र अपेक्षा है।*

विधि व्यवस्थाः

– अमित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए.आई.आर. 2012 एस.सी. 1433

– दयाल सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य ए.आई.आर. 2012 एस.सी. 3046

– धारी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए.आई.आर 2013 एस.सी. 308

में यह स्पष्ट रूप से अवधारित किया गया है कि *किसी साक्षी का हितबद्ध या सम्बन्धी होना उस साक्षी के साक्ष्य को अस्वीकार किये जाने का आधार नहीं होगा।*

विधि व्यवस्थाः

– पोती मनोहर बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य 2012 (441) सी0सी0एस0सी0 पृष्ठ 2000 सर्वोच्च न्यायालय,

– जे0सी0 उर्फ जयशीलन बनाम राज्य पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रतिनिधि 2012(421) सी0सी0एस0सी0 पृष्ठ 861 सर्वोच्च न्यायालय,

– अलुगपाण्ड्री बनाम तमिलनाडु राज्य 2012 (421) सी0सी0एस0सी0 पृष्ठ 980 सर्वोच्च न्यायालय,

– बाबादीन उर्फ बबई बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2012 ए0सी0सी0 पृष्ठ 786 सर्वोच्च न्यायालय में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुस्थापित किया गया है कि *किसी साक्षी का साक्ष्य केवल इसी आधार पर त्यक्त नहीं किया जा सकता है कि वह या तो पक्षपातपूर्ण या हितबद्ध है या शत्रुता के कारण दिया गया है या मृतक का घनिष्ठ सम्बन्धी है, यदि अन्यथा उसे विश्वसनीय होने या विश्वास करने योग्य होना पाया जाता है। उक्त साक्ष्य, केवल अत्यधिक सावधानी एवं सतर्कता से समीक्षा की ही अपेक्षा करता है, जिससे न केवल दोषी ही बचकर निकल पाए और न ही निर्दोष को गलत ढंग से दोष सिद्ध किया जाता हो। यदि सावधानीपूर्ण समीक्षा पर साक्ष्य की विश्वसनीयता एवं सम्भाव्य होना पाया जाता है तो उस पर कार्यवाही की जा सकती है और यदि उसे असम्भाव्य या संदिग्ध होना पाया जाता है तो ही उसे नामंजूर किया जाना चाहिए।*

34. उल्लेखनीय है कि जहां तक अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य का सम्बन्ध है, इस प्रकार की घटनाओं में सर्वप्रथम सगे–सम्बन्धी तथा पड़ोसी ही आस–पास होते हैं जो घटनास्थल पर सहायता प्रदान करते हैं और साक्ष्य देने में भी तत्पर रहते हैं जो कि पूर्णतः सुसंगत प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त साक्षी पी0डब्लू02

इरशाद अली के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि वह उक्त घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है जिसने मृतका/पीड़िता को अभियुक्तगण के साथ जाते देखा था। ऐसी दशा में अभियोजन साक्ष्यों को अस्वीकार किये जाने का औचित्य नहीं है।

> **In Ashok Kumar Chaudhary vs. State of Bihar, 2008 (61) ACC 972 (SC) and in Hukam Singh vs. State of Rajasthan 2000 (41) ACC 662 (SC)** it was held that *"If a witness examined in the court is otherwise found reliable and trustworthy, the fact sought to be proved by that witness need not be further proved through other witnesses though there may be other witnesses available who could have been examined but were not examined. Non-examination of material witness is not a mathematical formula for discarding the weight of the testimony available on record however, natural, trustworthy and convincing it may be. It is settled law that non-examination of eye witness cannot be pressed into service like a ritualistic formula for discarding the prosecution case with a stroke of pen. In a catena of decisions, the Hon'ble Apex Court has clearly laid down that the court is concerned with the quality and not with the quantity of evidence necessary for proving or disproving the fact. It is not the number, but the quality that is material. The time honoured principle is that evidence have to be weighed and not to be counted.*

विधि व्यवस्था :–

> **Appa Bhai versus State of Gujarat, 1983 (25) ACC 168 SC**, it has been held that, *"Experience reminds us that civilized people are generally insensitive when a crime is committed even in their presence. They keep themselves away from the court unless it is inevitable. They think that crime like civil dispute is between two individuals and parties. They should not involve themselves. This kind of general apathy in general public is indeed unfortunate but it is there, everywhere, whether in village life, town or cities. One cannot ignore this handicap with which the investigating agency has to discharge its duties. So, therefore, instead of doubting the prosecution case for want of independent witness, the court must consider the broad spectrum of the prosecution version and then search the nugget of truth with due regard to probability, if any suggested by the accused."*

35. सामान्यतः किसी साक्षी से यह आशा नहीं की जा सकती है कि वह एक के बाद एक तेजी से घटित होने वाली घटना के क्रम को लिपिबद्ध याद रखेगा। कभी–कभी कोई साक्षी भ्रमित हो जाता है, कोई साक्षी पूर्णतः सत्यवादी होने के बावजूद न्यायालय के वातावरण और खींजने वाली प्रतिपरीक्षा से आतंकित हो सकता है, ऐसी असंगतियों को जो मामले की जड़ तक नहीं पहुंचती और मामले की मूल विशेषताओं को नष्ट नहीं करती, असम्यक महत्व नहीं दिया जा सकता

है। सारतः अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण ने अपने कथन में घटना के सम्बन्ध में जिस प्रकार का वर्णन किया है उससे इन साक्षीगण की उपस्थिति स्वाभाविक एवं नैसर्गिक प्रतीत होती है। उक्त साक्षीगण के साक्ष्य का सजगता से परीक्षण करने पर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य पूरी तरह से विश्वसनीय परिलक्षित होते हैं।

36. उपरोक्त के सम्बन्ध में पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि इस मामले में मृतका/पीड़िता दिनांक 01.02.2013 को गुमशुदा हुई है, परन्तु न्यायालय के समक्ष उक्त साक्षीगण के बयान वर्ष 2025–2026 में अंकित हुये है। इतनी लम्बी अवधि में साक्षीगण के कथन में घटना व परिस्थितियों के सम्बन्ध में मामूली विरोधाभास आने स्वाभाविक है जिसके कारण साक्षीगण के सम्पूर्ण साक्ष्य को अविश्वसनीय मानकर तिरस्कृत नहीं किया जा सकता।

<u>विधि व्यवस्था</u> :

– **रमेश हरिजन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2012) 5 एस.सी.सी. 777,**

– **मुनि अप्पन बनाम तमिलनाडु राज्य (2010) 6 एस.सी.जे. 822 व**

– **मृत्युंजय विश्वास बनाम प्रणव उर्फ कुट्टी विश्वास व अन्य ए. आई.आर. 2013 (एस.सी.) 3334** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि *''यदि साक्षीगण के साक्ष्य में मामूली विरोधाभास हैं तो उनके साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता।''*

<u>विधि व्यवस्था</u> :

– **धरनीधर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2010) 6 एस.सी.जे. 662** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि *जहां न्यायालय के समक्ष साक्षियों के साक्ष्य घटना के काफी समय के पश्चात अंकित किये जाते हैं, वहां उनकी साक्ष्य में छोटे–मोटे विरोधाभास आने स्वाभाविक है।*

– ***Sahabuddin vs. State of Assam 2012(13)SCC 213*** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है किः

Every variation or immaterial contradiction cannot provide advantage to the accused. In the facts and circumstances of the present case <u>a variation of 45 minutes or an hour in giving the time of incident will not be considered fatal</u>. It is a settled principle of law that while appreciating the evidence the <u>court must examine the evidence in its entirety upon reading the statement of a witness as a whole and if the court finds the statement to be truthful and worthy of credence then every variation or discrepancy particularly which is immaterial and does not affect the root of the case of the prosecution would be of no consequence</u>.

36.1 अतः उक्त विश्लेषण तथा विधिव्यवस्था में सुस्थापित सिद्धांत के दृष्टिगत बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि घटना में समस्त अभियोजन साक्षीगण सगे सम्बन्धी व हितबद्ध साक्षी हैं तथा साक्षीगण के कथन में विरोधाभाष है, विधिक दृष्टि से बलहीन पाये जाते हैं।

37. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन द्वारा घटना का कोई हेतुक साबित नहीं किया गया है। अभियोजन

पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता क्रिमिनल द्वारा उक्त तर्क का विरोध करते हुए कथन किया गया कि पीड़िता/मृतका के साथ अभियुक्तगण ने बलात्कार किया जब वह बलात्कार से परेशान हो गयी तो उसने कहा या तो उसे छोड़ दो नहीं तो वह अपने बाप व पुलिस से कह देगी। अभियुक्तगण ने ताज महल दिखाने के बहाने उसे इगलाश के जंगल में ले जाकर गोली मारकर उसकी हत्या कारित की। उक्त तर्कों के प्रकाश में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक अवलोकन किया।

37.1 उल्लेखनीय है की परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामलों में हेतुक की प्रासंगिकता अपेक्षाकृत अधिक होती है। हस्तगत मामले में इस सम्बन्ध में वादी मुकदमा लियाकत अली पी0डब्लू0 1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि अभियुक्तगण ने शौकत के घर जाकर इस तथ्य की संस्वीकृति किया कि '.....हम पीड़िता/मृतका को मार चुके है जैसा भी हो सके आप इन लोगों से हमारा फंद कटवा दो''।

<u>पी डब्लू01 ने पुनः अपनी प्रतिपरीक्षा में पृष्ठ सॅख्या–5 (सत्र परीक्षण संख्या–834/2013) पर कथन किया कि–</u>

"*.....ये सब लोग पहले खेलिया में शौकत के यहॉ गये थे उसके बाद उपरोक्त सभी लोग शौकत के साथ मेरे घर आए थे। सभी लोग सुबह 8:00 बजे आए थे* "।

<u>मामले में विद्यमान हेतुक से सम्बंधित पी डब्लू 2 शौकत अली (सत्र परीक्षण संख्या–834/2013) ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि :</u>

"*.....जब मृतका/पीड़िता बलात्कार से परेशान हो गयी तो उसने कहा या तो मुझे छोड़ दो नहीं तो मैं अपने बाप व पुलिस से कहूॅगी तो ताज मौहम्मद ने कहा चलो तुम्हे ताज महल दिखा लाऊ और ताजमहल दिखाने के बहाने इगलाश के जंगल में ले जाकर गोली मारकर मृतका/पीड़िता की हत्या कर दी। हत्या इसलिए कर दी क्योंकि मृतका/पीड़िता ने अपने मॉ बाप को बताने व पुलिस को बताने की धमकी दी थी। इसलिए हमने उसको मार दिया।*"

38. उल्लेखनीय है की न्यायालय द्वारा मृतका/पीड़िता के वैजाईनल इस्मीयर स्लाईड का परीक्षण किया गया था एवं साक्षी पी.डब्लू–6 डॉ0 प्रमोद कुमार द्वारा न्यायालय के समक्ष अंकित कराये गये साक्ष्य का अवलोकन किया गया जिसमें साक्षी ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि–.......... *उक्त अज्ञात महिला की दो वैजाईनल स्पीयर स्लाईड परीक्षण हेतु भेजी गयी जिसे सी0सी0 प्रेमनाथ लेकर आये थे। वैजाईनल स्पीयर का स्लाईट परीक्षण किया गया। उसमें स्परमेटोजोआ (शुकाणु) मौजूद थे।* इसकी रिपोर्ट नंबर–554/2013 दिनॉक 20–02–2013 था। उपरोक्त अभियोजन साक्षीगण व चिकित्सक के बयान से यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा अभिकथित हत्या, मृतका/पीड़िता के विरूद्ध अभियुक्तगण के मन में उपजे भय के कारण एवं उनके द्वारा किये गये कृत्य से बचने के उद्देश्य से कारित की गयी। वर्तमान प्रकरण में इसी प्रकार की समानार्थ परिस्थिति निर्मित होती है। अस्तु, हस्तगत मामले की परिस्थिति तथा गवाहों के उपरोक्त साक्ष्यांश से वर्त्तमान मामले में बलात्कार के अपराध से बचने के रूप में मजबूत हेतुक की उपस्थिति विद्यमान है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि अभियोजन द्वारा घटना का कोई हेतु साबित नहीं किया गया है, विधिक रूप से बलहीन पाये जाते हैं, जबकि अभियोजन के तर्कों में विधिक बल पाया जाता है।

39. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि हस्तगत प्रकरण में विवेचक द्वारा आलाकत्ल की कोई बरामदगी नहीं की गयी जिसके कारण अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराधजन्य परिस्थिति निर्मित नहीं होती। उपरोक्त तर्क का विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा विरोध करते हुए कथन किया गया कि मात्र बरामदगी ना होने के कारण अभियोजन कथानक दूषित नहीं माना जा सकता। उपरोक्त तर्क–वितर्क का श्रवण किया गया जिसके सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि बरामदगी हेतु उक्त कर्तव्य विवेचक के थे कि वह स्वयं पहल करते हुये इन महत्वपूर्ण साक्ष्यों को बरामद करता जो उसके द्वारा नहीं किया गया। यदि घटनास्थल को समय रहते विवेचक द्वारा साक्ष्य के संकलन हेतु सुरक्षित कर लिया जाता तो बरामदगी से सम्बन्धित उपर्युक्त महत्वपूर्ण साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जा सकते थे जो अभियोजन कथानक को और भी अधिक बल प्रदान करते।

40. इस न्यायालय की राय में उपरोक्त खामियां गम्भीर प्रकृति की है तथापि इन कमियों के आधार मात्र पर ही अभियोजन कथानक झूठा साबित नहीं हो जाता। विवेचना, घटना कारित होने के बाद अभियोग का खुलाशा करना व साक्ष्य संकलन के प्रयोजन से प्रारम्भ होती है और अगर इन विवेचनात्मक प्रयासों में कोई त्रुटि रह जाती है तो इससे अभियुक्त की निर्दोषिता साबित नहीं हो जाती। यह सुस्थापित विधि है कि अन्वेषणात्मक कमियों का लाभ अभियुक्त पक्ष प्राप्त नहीं कर सकता।

विधि व्यवस्था :

–मौ० इमरान खान बनाम राज्य (दिल्ली सरकार एन.सी.टी) 2011(6) काईम्स 205 (एस.सी.) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि *यदि अन्वेषण विधि विरुद्ध या संदिग्ध भी है, तब भी साक्ष्य की संवीक्षा उक्त दोषों से स्वतंत्र होकर की जानी चाहिए, अन्यथा आपराधिक विचारण अन्वेषण अधिकारी के कब्जे में आ जायेगा। न्यायालय को विवेचनाधिकारी के अन्वेषण के बजाय साक्ष्य को अधिक प्राथमिकता देनी चाहिये और आपराधिक न्याय को विवचेनाधिकारी की कमियों का दास नहीं होना चाहिये।*

–माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने गोपाल बनाम राज्य, ए. सी.सी. 1999(39) पृष्ठ 98 में स्पष्ट रूप से कहा है कि *विवेचनाधिकारी द्वारा की गई त्रुटि या शरारत के आधार पर अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्षियों के कथनों को अविश्वसनीय नहीं ठहराया जा सकता।*

इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायलाय एवं उच्च न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था ***Hema Vs State 2013 (81) ACC 1 (SC) (Three Judge Bench)*** एवं ***C. Muniappan Vs State of TN 2010 (6) SCJ 822*** में यह मत व्यक्त किया गया कि–

" Any irregularity or deficiency in investigation by I.O. need not necessarily lead to rejection of the case of prosecution when it is otherwise proved. The only requirement is used of extra caution in evaluation of evidence. A defective

investigation cannot be fatal to prosecution where ocular testimony is found credible and cogent."

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित ***विश्वेश्वरन बनाम राज्य द्वारा एस०डी०एम० 2003 CRL. L. J. 2548 एवं नरेश कुमार बनाम कलावती एवं अन्य (2021) AIR (SC) 1605*** *जिनमें माननीय न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि तुच्छ विरोधाभाष, अंसगितयों एवं विवेचना में त्रुटि को नजर अंदाज कर देना चाहिए।*

41. अतः उपरोक्त व तत्सम्बन्धी विधि दृष्टान्तों से यह सुस्पष्ट हो जाता है कि विवेचनात्मक त्रुटियों के बारे में पेश सम्पूर्ण विस्तृत दलीलों को अगर स्वीकार भी कर लिया जाये तो भी इन खामियों के आधार पर अभियुक्त को दोषमुक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसा होने से सम्पूर्ण परीक्षण विवेचक के हाथ की कठपुतली मात्र बनकर रह जायेगा। आपराधिक विचारण में विवेचना परीक्षण का एक अंश तो होती है, किन्तु पूरे परीक्षण को विवेचक के हवाले नहीं किया जा सकता। पूरी विवेचना भी अगर अवैध या संदेह के घेरे में हो तो भी शेष उपलब्ध साक्ष्य का स्वतंत्ररूपेण व बारिकी से मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है अन्यथा आपराधिक विचारण विवेचक के स्तर तक गिर कर रह जायेगा। न्यायालय के मत में आपराधिक न्याय को विवेचक की गलतियों का कोपभाजन नहीं बनने दिया जा सकता। अस्तु, बचाव पक्ष विवेचनात्मक त्रुटियों का लाभ पाने का अधिकारी नहीं है।

प्रस्तुत प्रतिपादित विधि के दृष्टिगत बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्क विधिक दृष्टि से बलहीन पाये जाते है, जबकि विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों में विधिक बल पाया जाता है।

42. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दौरान बहस बलपूर्वक यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि घटना में अभियुक्तगण के नाम न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के आधार पर प्रकाश में आये हैं जिसके आधार पर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित नहीं है।

43. जहॉ तक संस्वीकृति शब्द का प्रश्न है, इसकी परिभाषा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत वर्णित तो नहीं है, किंतु सापेक्ष रूप से भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत अब तक प्राप्त अभिमत के अनुसार यह है कि संस्वीकृति ऐसी स्वीकृति को कहते हैं, जो किसी ऐसे व्यक्ति ने की है, जिस पर किसी अपराध का आरोप है और जो किसी विवाद्यक या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करती है, जो अनुमान उसका कथन इंगित करे, वह कम से कम यह होना चाहिये कि उसने अपराध किया है।

44. यह उल्लेखनीय है कि साक्ष्य विधि के अंतर्गत सस्वीकृति दो रूप में मिलती है– पहला–न्यायिक संस्वीकृति, दूसरा–न्यायिकेत्तर संस्वीकृति,

यहॉ यह उल्लेख किया जाना भी विधि संगत है कि प्रश्नगत प्रकरण में पी.डब्लू.–2 शौकत अली (सत्र परीक्षण सं0–834/2013) द्वारा अपने बयान में कहा गया है कि ''फरवरी में दूसरे हफ्ते में 2013 की बात है। करीब 11:00 बजे दिन में अपने घेर पर सुलेमान व छतरपाल के साथ बैठा हुआ था उस समय अभियुक्तगण ताज मौहम्मद, सद्दाम, कुलदीप, बिजेन्द्र पहुॅचे। ताज मौहम्मद ने मुझे सलाम किया और यह कहा कि हम लोगो पर बहुत बडी गलती हुई है। आप गॉव के प्रधान रहे है और पुलिस से आपकी अच्छी बैठ उठ है। हमसे ये

गलती हुई है कि एक फरवरी 2013 को हम यानि ताज मौहम्मद, गोविन्दपुर मृतका/पीड़िता के गॉव पहुॅचा और सुबह को मृतका/पीड़िता शौच के लिए आयी थी मैं उसे अपनी गाडी में लेकर शिकारपुर आ गया और शिकारपुर में ताज मौहम्मद के साथ–साथ अभियुक्त बिजेन्द्र, कुलदीप, कृष्णा, सन्दीप और सद्दाम भी रहने लगे। मैं किसी काम के लिए बाहर गया तो मृतका/पीड़िता के साथ इन पॉचो अभियुक्तगण ने बलात्कार किया। जब मृतका/पीड़िता बलात्कार से परेशान हो गयी तो उसने कहा या तो मुझे छोड दो नहीं तो मैं अपने बाप व पुलिस से कहॅूगी तो ताज मौहम्मद ने कहा चलो तुम्हे ताजमहल दिखा लाऊ और ताजमहल दिखाने के बहाने इगलाश के जंगल में ले जाकर गोली मारकर मृतका/पीड़िता को हत्या कर दी। हत्या इसलिए कर दी क्योंकि मृतका/पीड़िता ने अपने मॉ बाप को बताने व पुलिस को बताने की धमकी दी थी। इसलिए हमने उसको मार दिया।

45. जहॉ तक न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के साक्ष्य की मौलिकता का प्रश्न है, इस संदर्भ में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत विधि व्यवस्था का अवलोकन किया जाना न्यायहित में ईष्टकर एवं समीचीन है।

–***चतार सिंह बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा ए.आई.आर. 2009 एस.सी. 378*** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि *न्यायिकेत्तर संस्वीकृति की एक अपेक्षा यह है कि क्या संस्वीकृति करते समय अभियुक्त स्वतंत्र व्यक्ति था, दूसरी अपेक्षा यह है कि संस्वीकृति का साक्ष्यिक मूल्य उस व्यक्ति की सच्चाई पर निर्भर करता है, जिसके प्रति संस्वीकृति की गयी थी और जो उसकी गवाही देने के लिये पेश होता है।*

–***प्यारा सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब (1977) 4 एस.सी.सी. 459*** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि *विधि यह अपेक्षा नहीं करती कि प्रत्येक स्थिति में न्यायालय के बाहर की गयी संस्वीकृति का संपोषण होना चाहिये।* इस मामले में संस्वीकृति गॉव के संरपच द्वारा साबित की गयी थी जो कि एक स्वतंत्र गवाह तथा अधिकारी है, उसे अपीलार्थी से कोई बैर–विरोध भी नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी, जिसके आधार पर सेशन जज को उसकी गवाही पर यकीन नहीं करना चाहिये था, जबकि उसके द्वारा बतायी गयी संस्वीकृति को इस बात से संपोषण मिला था कि घटनास्थल पर चला हुआ कारतूस मिला था।

–***नारायण सिंह बनाम स्टेट ऑफ एम.पी. (1985) 4 एस.सी.सी. 26, स्टेट ऑफ यू.पी. बनाम एम.के.एंथनी (1985) 1 एस.सी.सी. 505*** के मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा है कि *किसी न्यायालय को यह मानकर नहीं चलना चाहिये कि न्यायालय के बाहर की गयी संस्वीकृति एक कमजोर साक्ष्य होती है।* ऐसी संस्वीकृति का वजन, परिस्थितियों की प्रकृति, करने का समय तथा गवाहों की विश्वसनीयता पर निर्भर करेगा।

–***पाक्किरी स्वामी बनाम स्टेट ऑफ तमिललनांडु ए.आई.आर. 1998 एस. सी. 107*** के मामले में माननीय न्यायालय ने कहा कि एक हत्या तथा चोरी के मामले में अभियुक्त ने गॉव के प्रशासकीय अधिकारी के समक्ष अपने जुर्म का इकबाल किया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस साक्ष्य को बराबर की मान्यता दी, क्योंकि कई अन्य परिस्थितियों से इसकी पुष्टि हो रही थी, जैसे कि उसकी सूचना के अनुसार वस्तुओं का बरामद होना तथा अन्य गवाहों के बयान और वारदात के बाद उसका लापता होना।

–***स्टेट आफ ए.पी. बनाम जी.एस.मूर्ति, (1997) 1 एस.सी.सी. 272*** के मामले में न्यायालय ने यह सदैव ही सारभूत माना है कि न्यायालय से बाहर की गयी संस्वीकृति तभी ग्राह्य होगी, जब वह स्वैच्छिक हो। यह जानने के लिये

संस्वीकृति स्वैच्छिक थी या नहीं, न्यायालयों ने इस बात पर खास जोर दिया है कि जरा सी भी धमकी या फुसलाने से संस्वीकृति असंगत हो जायेगी।

46. इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय निर्णीत विधि व्यवस्था के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि न्यायिकेत्तर संस्वीकृति को साक्ष्य विधि में एक कमजोर साक्ष्य के रूप में देखा जाता है, किंतु यदि न्यायिकेत्तर संस्वीकृति जिस प्रकार से की गयी है, वह स्वैच्छिक है और न्यायिकेत्तर संस्वीकृति से संबंधित पत्रावली पर अभिलेखीय और मौखिक साक्ष्य उपलब्ध हो और न्यायिकेत्तर संस्वीकृति से संबंधित कथनों को संपुष्ट कर रहे हों, तो ऐसे न्यायिकेत्तर संस्वीकृति को विश्वसनीय साक्ष्य की श्रेणी में रखा जायेगा।

–***State of Uttar Pradesh Vs. M.K. Anthony (1985) 1 SCC 505***, it has been held that :

"an extra-judicial confession was made by the accused to his friend. The court found that the statement was made by the accused was unambiguous and unmistakably conveyed that the accused was perpetrator of the crime. Testimony of friend was true, reliable and trustworthy. Confession of accused on such extra-judicial confession was proper and no corroboration was necessary which importance should not be given to minor discrepancies and technical error. Generally, extra-judicial confession is made before an unbiased person, not the enemy of the accused and that person has not such motive to speak false statement. It should be voluntarily unambiguous and clear. No fact has been concealed with regard to the incident."

-Satish and others vs. State of Haryana (2018) 2 SCC Cr. 652, it has been held that :

"Extra-judicial confession is a week piece of evidence, normally by itself, it can be corroborative only. It should be proved like other evidence. It is not necessary that witness should speak the same about as told by the accused."

-State of Himachal Pradesh vs. Raj Kumar (2018) SCC Cr. 452, it has been held that :

"circumstantial evidence of prosecution establishing circumstances by cogent and convincing evidence. Circumstances cumulatively taken, form accompanied, general pointing out that murder was committed by accused and none else, burden under Section 106 Evidence Act not discharged by the accused. Accused should explain incriminating circumstances against him."

-Ishwari Lal vs. State of Chattisgarh 2020 (1) SCC Cr. 13, it has been held that :

"extra-judicial confession is a weak piece of evidence but at the same time, if the same is corroborated by other evidence on record such confession can be taken into consideration to prove the guilt of the accused."

-Sahoo vs. State of U.P., 1966 AIR 40, 1965 SCR (3) 86, it has been held that :
"an extra-judicial confession may be an expression of conflict of emotion, a conscious effort to stifle the pricked conscience; an argument to find excuse or justification for his act; or a penitent or remorseful act of exaggeration of his part in the crime." Before evidence in this behalf is accepted, it must be established by cogent evidence what were the exact words used by the accused. The Court proceeded to state that even if so much was established, prudence and justice demand that such evidence cannot be made the sole ground of conviction. It may be used only as a corroborative piece of evidence. The High Court did not interfere with the conviction observing that the evidence of extrajudicial confession is corroborated by circumstantial evidence.

-Sunita and Others v. State of U.P. (CRIMINAL APPEAL No. 5712 of 2008; 04.04.2022) के मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि न्यायिकेत्तर सस्वीकृति यद्यपि एक कमजोर साक्ष्य होता है किंतु यदि न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के संदर्भ में पत्रावली पर अभिलेखीय और संपुष्ट करने वाली साक्ष्य हो तो न्यायिक संस्वीकृति के आधार पर दोषसिद्ध किया जाना विधि संगत होगा।

47. जहॉ तक पी0डब्लू01 लियाकत अली व पी.डब्लू.–2 (सत्र परीक्षण सं0–834/2013) के समक्ष अभियुक्तगण द्वारा किये गये न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के बयानों के संदर्भ में पत्रावली पर उपलब्ध अन्य सारभूत साक्ष्यों का प्रश्न है, तो इसके संदर्भ में–

47.1. विवेचक के बयान का उल्लेख करना न्यायहित में ईष्टकर एवं समीचीन है जिसमें विवेचक ने अपनी मुख्य परीक्षा में मुख्य रूप से कथन किया है कि दौरान विवेचना ज्ञात हुआ कि मृतका/पीड़िता की अभियुक्त ताज मौहम्मद, कुलदीप उर्फ राजा, सन्दीप ठाकुर, कृष्णा, बिजेन्द्र एवं सद्दाम ने मृतका/पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर उसका शव थाना इगलाश जनपद अलीगढ़ क्षेत्र में डाल दिया था।

47.2. इसी क्रम में पी0डब्लू08 रामदरश यादव द्वारा न्यायालय के समक्ष कथन किया गया कि मौके पर मृतका अज्ञात का शव मक्का और कोल्ड स्टोरेज के बीच कच्ची नाली में चित अवस्था में पड़ा था।

47.3. इसके अतिरिक्त चिकित्सक साक्षी पी.डब्लू07 डॉ0 मनोज कुमार श्रीवास्तव द्वारा इस तथ्य को सम्पुष्टि किया गया कि मृतका की मृत्यु का कारण

सिर में गोली लगने से अत्यधिक रक्त के बहने से शौक से होना था। मृतका की मृत्यु फायर आर्म्स इंजरी से हुयी है।

47.4. इसी क्रम में चिकित्सक साक्षी पी.डब्लू.–6 डॉ0 प्रमोद कुमार द्वारा यह तथ्य अंकित कराया गया है कि वैजाईनल इस्मीयर स्लाईड का परीक्षण किया गया और Spermatozoa (शुक्राणु) दिखायी पडे थे, शुक्राणु मौजूद थे।

47.5. इसी क्रम में यह तथ्य भी उल्लेख किया जाना अति महत्वपूर्ण होगा कि पी0डब्लू01 लियाकत अली व पी.डब्लू.–2 शौकत अली (सत्र परीक्षण सं0–834/2013) द्वारा उसके समक्ष जिन अभियुक्तगण ने अपराध की संस्वीकृति किये जाने का कथन किया है वह पूर्णतः अभियोजन कथानक के समरूप है जिसमें घटना घटित होने का दिन, घटना घटित होने की श्रंखला एवं अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित किये जाने की कार्यशैली में किसी प्रकार का कोई विरोधाभाष नहीं है तथा जिसकी सम्पुष्टि पी.डब्लू.–02 इरशाद अली द्वारा यह कथन करते हुए की गयी है कि उसने समस्त अभियुक्तगण द्वारा मृतका पीड़िता को ले जाते हुए देखा था।

48. इस प्रकार पत्रावली के उपरोक्त विश्लेषण यह स्पष्ट हो रहा है कि घटना में प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है किंतु न्यायिकेत्तर संस्वीकृति को संपुष्ट करने वाले परिस्थितिजन्य साक्ष्य उपलब्ध है और यदि दोनों एक दूसरे को संतुष्ट कर रहे हों तो ऐसे साक्ष्य की विश्वसनीयता स्वयं ही सुनिश्चित हो जाती है। जहॉ तक परिस्थितिजन्य साक्ष्य का प्रश्न हैः

इस संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था और स्वयं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–106 का उल्लेख किया जाना न्यायहित में समीचीन एवं प्रासंगिक है।

> ***–सुच्चा सिंह बनाम पंजाब राज्य (2001) (4) एस.सी.सी. 375*** *पर यह धारित किया गया है कि*
>
> *Section 106 of the Indian Evidence Act, 1872 (Hereinafter referred to as Evidence Act) State that "When any fact is Specially within the knowledge of any person, the burden of proving that fact is upon him. Section 106 of the evidence act deals with the shifting onus of proving a particular fact by the accused or when that particular fact is especially within his prima facie case against the accused. This section is an exception to section 101 of the evidence act and its applicability does not extend to taking off the legal burden from the shoulder of the prosecution. Hence, the burden which is being talked about in this section is the evidential burden of which the onus of proving can be shifted to the accused. Section 106 applies only to the parties to a suit or proceeding. It is designed to meet the certain exceptional cases in which it would be impossible or very difficult for the prosecution to establish facts which are especially in the knowledge of the accused. The Principle stated in the section is an application of the principle of res ipsa loquitur ie, the things speaks for itself.*

As has been held in the case of ***Sucha singh Vs State of Punjab(2001)4SCC 375.***

Section 106 is not intended to relieve the prosecution of its burden to prove the guilt of the accused beyond reasonable doubt; but the section would apply to cases where the prosecution has succeeded in proving facts from which the reasonable inference can be drawn regarding the existence of certain other facts unless the accused by the virtue of a special Knowledge regarding such facts offered an explanation which might drive the court to draw a different inference.

In the case of state of ***Karnataka Vs Khaja Hussain (1982) 3 SCC 456:*** *It was held on the prosecution makes out a prima facie case against the accused by showing his connection with the crime, the burden is shifted on accused to account his presence. The conclusion drawn by the aforesaid judgment is that the presumption under section 106 is a rebuttable presumption of fact, that is when the prosecution has succeeded in proving the facts from which the reasonable inference can be drawn regarding the existence of certain other facts the accused can rebut the by the virtue of special knowledge regarding such facts. Therefore the presumption u/s 106 of the evidence cannot be rebutted discharged by the accused prior to the burden discharged by the prosecution.*

यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत विधि व्यवस्था का उल्लेख किया जाना न्यायहित में ईष्टकर एवं समीचीन है,

In case of ***Sharad Birdhichand Sarda Vs. State of Maharashtra*** *laid down in para 152: may be reproduced herein:*

A close analysis of this decision would show that the following conditions must be fulfilled before a case against an accused can be said to be fully established:

(1) the circumstances from which the conclusion of guilt is to be drawn should be fully established

It may be noted here that this Court indicated that the circumstances concerned "must or should" and not "may be" established. There is not only a grammatical but a legal distinction between "may be proved" and "must be or should be proved" as was held by this Court in Shivaji Sahabrao Bobade v. State of Maharashtra [(1973) 2 SCC 793 : 1973 SCC (Cri) 1033 :1973 Crl LJ 1783] where the observations were made : [SCC para 19, p. 807 : SCC (Cri) p. 1047] "Certainly, it is a primary principle that the accused must be and not merely may be guilty before a court can convict and the

mental distance between 'may be' and 'must be' is long and divides vague conjectures from sure conclusions."
(2) the facts so established should be consistent only with the hypothesis of the guilt of the accused, that is to say, they should not be explainable on any other hypothesis except that the accused is guilty,
(3) the circumstances should be of a conclusive nature and tendency,
(4) they should exclude every possible hypothesis except the one to be proved, and
(5) there must be a chain of evidence so complete as not to leave any reasonable ground for the conclusion consistent with the innocence of the accused and must show that in all human probability the act must have been done by the accused."

49. इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये उपरोक्त निर्देशों से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया, तदनुसार अब तक के उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण ताज मौहम्मद, कृष्णा, बिजेन्द्र, सद्दाम व कुलदीप ने पी.डब्लू.–2 (सत्र परीक्षण सं0–834/2013) के समक्ष उनके द्वारा जिस प्रकार से घटना कारित करने की न्यायिकेत्तर संस्वीकृति की है उसी प्रकार की संपुष्टि विवेचक के बयान से होती है, पी.डब्लू.–7 ने घटना कारित किये जाने की कार्यशैली यानि मृतका को गोली मारकर हत्या किया जाना तथा पी.डब्लू–6 डॉ0 प्रमोद कुमार द्वारा मृतका के शरीर पर शुक्राणु के पाये जाने की सम्पुष्टि की है जोकि अभियुक्तगण द्वारा पी0डब्लू01 व पी.डब्लू.–2 (सत्र परीक्षण सं0–834/2013) के समक्ष अपराध के सन्दर्भ में की गयी न्यायिकेत्तर संस्वकृित से पूर्णतः मेल खाती है। उपरोक्त साक्षीगण से बचावपक्ष की ओर से पर्याप्त जिरह की गयी है परंतु प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई तथ्य निकल कर नहीं आया है जिससे उक्त अभियोजन साक्षीगण के बयानों की सत्यता, मौलिकता और वैज्ञानिकता कलंकित या दूषित होती हो।

50. दौरान बहस अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन की ओर से पेश किये गये साक्षीगण की साक्ष्य प्रत्यक्ष साक्ष्य से समर्थित नहीं है, अतः अभियोजन कथानक संदिग्ध है। जिस पर अभियोजन की ओर से कहा गया कि अभियोजन कथानक पूर्णतया साबित है। उक्त तर्कों के प्रकाश में अभिलेख पर उपलब्ध अभिलेखों और साक्षीगण के साक्ष्यों का मौलिकता से परिशीलन किया।

51. तद्नुसार यहॉ यह तथ्य उल्लिखित किया जाना असंगत प्रतीत नही होता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त ***लल्लू मॉझी बनाम झारखन्ड राज्य ए0आई0आर0 2003 एस0सी0 854*** एवं अनेक न्यायिक दृष्टान्तों में विश्वसनीयता के आधार पर साक्षियों को तीन वर्गो में विभाजित किया गया है–

पहला–पूर्णतः विश्वसनीय साक्षी

दूसरा–पूर्णतः अविश्वसनीय साक्षी

तीसरा–अंशतः विश्वसनीय साक्षी एवं अंशतः अविश्वसनीय साक्षी

51.1 पूर्णतः विश्वसनीय साक्षी के आधार पर न्यायालय अभियुक्त को दोषसिद्ध कर सकता है। पूर्णतः अविश्वसनीय साक्षी के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती। जहॉ तक अंशतः विश्वसनीय एवं अंशतः अविश्वसनीय साक्षी के साक्ष्य की विश्वसनीयता का प्रश्न है यदि उसके साक्ष्य के विश्वसनीय एवं अविश्वसनीय अंश पृथक किये जा सकते हों तो न्यायालय अभिलेख पर उपलब्ध

अन्य सुसंगत साक्ष्य के आलोक में साक्षी के अंशतः विश्वसनीय साक्ष्य से समर्थन प्राप्त कर सकता है।

52. माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्था एवं सिद्धान्तों के आलोक में पी0डब्लू01 लियाकत अली व पी.डब्लू.–2 शौकत अली (सत्र परीक्षण सं0–834 / 2013) के समक्ष अभियुक्तगण द्वारा न्यायिकेत्तर संस्वीकृति की गयी है और अभियुक्तगण किये गये अपराध के परिणामस्वरूप पूर्व और पश्चात परिस्थितियों की सम्पुष्टि अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित अन्य साक्षीगण द्वारा की गयी है, जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त मामले में अभियोजन साक्षीगण विश्वसनीयता प्राप्त साक्षी की श्रेणी में आते है। अतः उक्त तर्क का लाभ बचावपक्ष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

53. अभियोजन की ओर से परीक्षित तथ्य के इन साक्षीगण ने अपने स्थिर एवं विश्वसनीय परिसाक्ष्य के माध्यम से अभियोजन कथानक का पूर्ण समर्थन किया है। अतः उनके साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई युक्तियुक्त एवं औचित्यपूर्ण आधार दर्शित नही होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त ***ननकू बनाम उ0प्र0राज्य (2016) 3 एस0सी0सी0 317*** में यह विधिक व्यवस्था प्रतिपादित किया है कि *जब साक्षीगण घटना के संबंध में स्पष्ट एवं स्थिर कथन कर रहे है, तो ऐसे साक्षियो का साक्ष्य विश्वसनीय अवधारित किया जाना चाहिये।* अतः अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पूर्णतः विश्वसनीय साक्षी हैं। तद्नुसार बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया यह तर्क कि अभियुक्तगण के नाम न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के आधार पर आये है जिन पर विश्वास किया जाना न्यायोचित नहीं है, न्यायालय कोई बल नहीं पाता है।

54. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा न्यायालय के समक्ष बलपूर्वक दलील दी गयी कि प्रस्तुत मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है किन्तु परिस्थितियों की ऐसी कोई अटूट श्रृंखला निर्मित नहीं होती है जिससे केवल अभियुक्तगण द्वारा मृतका के साथ घटना कारित किया जाना साबित हो। अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा उक्त तर्क का विरोध करते हुए कथन किया गया कि वर्तमान मामले में परिस्थितियों की श्रृंखला पूर्णतः निर्मित है। उक्त तर्कों के प्रकाश में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया गया।

<u>विधि व्यवस्थाः</u>

– शेख यूसुफ बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 2011(431) सी0सी0एस0सी0 पृष्ठ 1149 सर्वोच्च न्यायालय,

– टिप्पराम प्रभाकर बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य 2010 (441) सी0सी0एस0सी0 पृष्ठ 1847 सर्वोच्च न्यायालय,

– गोआ राज्य बनाम संजय ठकरान एवं एक अन्य 2007 (421) सी0सी0एस0सी0 पृष्ठ 578 सर्वोच्च न्यायालय जैसे वादों में निम्न रूप में व्यवस्था स्थापित की गई है।

अन्तिम बार एक साथ देखे जाने की परिस्थिति को सामान्यतः अभियुक्त को आरोपित अपराध का दोषी पाने के लिए विचारण में लिया जाएगा। जब अभियोजन द्वारा यह साबित कर दिया जाता है कि उस समय के, जब अभियुक्त को मृतक के साथ जीवित देखा गया था और जब मृतक को मृत पाया गया था, के बीच समय का अंतराल इतना अल्प है कि किसी अन्य व्यक्ति के मृतक के साथ होने की संभावना से पूर्ण रूप से इंकार किया जा सकता था। मृतक के साथ अभियुक्त व्यक्ति को देखे जाने और अपराध का पता लगाने के बीच का समय (अंतराल) साक्ष्य के मूल्यांकन एवं अभियुक्त के विरूद्ध परिस्थितियों के रूप में उस पर विश्वास करने का तात्विक विचारण लेगा, परन्तु सभी मामलों में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अन्तिम बार एक साथ देखे जाने

का साक्ष्य केवल इस कारण से ही नामंजूर किया जाना है कि अभियुक्त व्यक्ति एवं मृतक को अन्तिम बार एक साथ देखे जाने और अपराध के प्रकाश में आने के बीच का समय (अन्तराल) पर्याप्त लम्बी अवधि के बाद का है। इस सम्बन्ध में समय (अंतराल) की अवधि के लिए कोई नियत या ठोस सन्नियम नहीं हो सकता है और यह मध्यवर्ती अवधि को मृतक से किसी अन्य व्यक्ति के मिलने की सम्भाव्यता को दूर करने के लिए अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य पर निर्भर करेगा अर्थात <u>यदि अभियोजन ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करने में समर्थ है कि अभियुक्त के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को अपराध का कर्ता होने की सम्भाव्यता असम्भाव्य हो जाती है तो अन्तिम बार एक साथ देने जाने की परिस्थिति का साक्ष्य यद्यपि समय की अवधि लम्बी है, फिर भी ऐसे अभियुक्त व्यक्ति के विरूद्ध दोष साबित करने की परिस्थिति श्रंखला की परिस्थितियों में से एक रूप में माना जा सकता है। अतः यदि अभियोजन यह साबित कर देता है कि मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में अपराध कारित करने के पूर्व या घटनास्थल पर मध्यवर्ती अवधि में मृतक से मिलने या सम्पर्क करने की किसी अन्य व्यक्ति की कोई संभाव्यता नहीं थी, तो अन्तिम बार एक साथ देखे जाने का सबूत सुसंगत साक्ष्य होगा।</u>''

55. अभियुक्त को मृतक के पास/घटनास्थल पर अन्तिम बार देखा जाना (Last seen together):-

अभियुक्त को मृतकगण के साथ/घटनास्थल पर अन्तिम बार देखे जाने से व उसके आधार पर दोषसिद्धि से सम्बन्धित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित दिशा निर्देश हैः–

<u>State of Goa Vs. Pandurang Mohite, AIR 2009 SC 1066</u>

<u>Ramreddy Rajeshkhanna Reddy Vs. State of A.P., [2006(10) SCC 172]</u>

“**last seen together” & its evidentiary value :** Circumstances of “last seen together” do not by themselves and necessarily lead to the inference that it was accused who committed the crime. There must be something more establishing connectivity between the accused and the crime. The time gap between last seen alive and the recovery of dead body must be so small that the possibility of any person other than the accused being the author of the crime becomes impossible.

<u>(i) Rohtas Kumar Vs. State of Haryana, [2013 (82) ACC 401 (SC) (para 25)]</u>

<u>(ii) Prithipal Singh Vs. State of Punjab, [(2012) 1 SCC 10]</u>

"last seen together" shifts the burden of proof of innocence on accused : The doctrine of "last seen together" shifts the burden of proof on the accused requiring him to explain how the incident had occurred. Failure on the part
of the accused to furnish any explanation in this regard would give rise to a very strong presumption against him.

<u>Ashok Vs. State of Maharashtra, [(2015) 4 SCC 393].</u>

Proof of "last seen together" by prosecution when leads to conviction of accused ? : Initial burden of proof is on prosecution to adduce suffieient evidence pointing towards guilt of accused. However, in case it is established that acused was last seen together with the deceased, prosecution is exempted to prove exact happening of incident as accused himself would have special knowledge of incident and thus would have

burden of proof as per Section 106, Evidence Act. But last seen together itself is not conclusive proof but along with other circumstances surrounding the incident like relations between accused and deceased, enmity between them, previous history of hostility, recovery of weapon from accused, etc. non explanation of death of deceased, etc.etc. may lead to a presumption of guilt of accused.

(1) **Niranjan Panja Vs. State of W.B,(2010) 6 SCC 525**

(2) **Vithal Eknath Adlinge Vs. State of Maharashtra, [AIR 2009 SC 2067].**

Time gap between last seen & death : The last seen theory comes into play where the time-gap between the point of time when the accused and the deceased were seen last alive and when the deceased is found dead is so small that possibility of any person other than the accused being the author of the crime becomes impossible. It would be difficult in some cases to positively establish that the deceased was last seen with the accused when there is a long gap and possibility of other persons coming in between exists. In the absence of any other positive evidence to conclude that the accused and the deceased were last seen together, it would be hazardous to come to a conclusion of guilt in those cases.Where prosecution depends upon theory of "last seen together" it is always necessary that prosecution should establish time of death.

56. इस तरह से उपरोक्त विधि व्यवस्था देखने से स्पष्ट है कि यदि अभियुक्त को मृतका के साथ अन्तिम बार देखा गया है तो विधि यह उपधारणा करेगी कि मृतका के साथ हुए किसी भी अविधिक कृत्य का उत्तरदायित्व अभियुक्त का है। यहाँ पर अभियुक्त पर यह सबूत का भार हो जाता है कि वह स्पष्ट करें कि किन परिस्थितियों में मृतका के साथ कथित घटना से उसका कोई सम्बन्ध नहीं रहा था, वह उसके लिए उत्तरदायी नहीं है। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त को मृतका के साथ अन्तिम बार देखे जाने का साक्ष्य आया है।

57. वर्तमान प्रकरण में उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के आलोक में यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि न्यायालय के समक्ष वादी मुकदमा *पी०डब्लू01* लियाकत अली ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि:

"........ घटना 1 फरवरी 2013 की है। घटना के समय मृतका की आयु करीब 15–16 साल की थी। घटना वाले दिनॉक 01–02–2013 को सुबह 06:00 बजे के करीब मेरी पुत्री शौच के लिए मेरे खेतों की ओर जंगल में गयी थी। मेरे घर के सामने की ओर मेरे खेत हैं। जहॉ लोग अकसर शौच के लिए चले जाते थे। शौच करके जब वह जब लौटकर नहीं आयी, उसे काफी तलाश किया लेकिन वह नहीं मिली तो मैंने उसकी गुमशुदगी की सूचना का प्रार्थना पत्र पुलिस चौकी में दिया था। मैंने जो तहरीर पुलिस चौकी में दिया था उस पर मैंने हस्ताक्षर किये थे। उक्त गुमशुदगी का प्रार्थना पत्र पत्रावली पर मेरे सामने कागज सं0–55ए के नाम से सत्यापित प्रतिलिपि के रूप में मौजूद है। उस पर प्रदर्श क–1 अंकित किया जाता है। करीब एक डेढ़ महीने पश्चात् अभियुक्त सद्दाम व ताज मौहम्मद के ताऊ व घर वाले खेलिया के प्रधान शौकत खॉ के पास पहुॅचे और कहा कि हमने को मार चुके हैं, अब जैसे भी हो सके आप इन लोगों से हमारा फंद कटवा दो। शौकत खॉ ने पूछा कि तुमने लड़की कहॉ मारकर डाली है तो उस पर ताज मौहम्मद व उसके परिवार वालों ने बताया कि तुम्हारी लड़की को हम लोगों ने इगलास की तरफ जाकर फेंका था। इगलास थाने जाकर मालूम कर लो। शौकत खॉ ने ये सारी बात उसी दिन मुझे बतायी थी। मैं स्वयं अपने परिवार के लोगों के साथ उसी दिन 12 बजे करीब थाना इगलास पहुॅच गये थे। तारीख मुझे

आज याद नहीं है। हमने एस0ओ0 साहब इगलास से पूछा था कि 12 या 13 फरवरी को किसी लड़की की डैडबॉडी आपके क्षेत्र में आपको मिली थी तो एस0ओ0 साहब ने हमें मृतक लड़की का फोटोग्राफ दिखाया तो वो फोटो हिना परवीन का फोटो था। हमने पहचान लिया था।

इसी क्रम में अभियोजन साक्षी *पी०डब्लू02* (सत्र परीक्षण सं0–834/2013) द्वारा न्यायालय के समक्ष अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया कि

"........ फरवरी में दूसरे हफ्ते में 2013 की बात है। करीब 11:00 बजे दिन में अपने घेर पर सुलेमान व छतरपाल के साथ बैठा हुआ था उस समय अभियुक्तगण ताज मौहम्मद, सद्दाम, कुलदीप, बिजेन्द्र पहुँचे। ताज मौहम्मद ने मुझे सलाम किया और यह कहा कि हम लोगो पर बहुत बड़ी गलती हुई है। आप गॉव के प्रधान रहे है और पुलिस से आपकी अच्छी बैठ उठ है। हमसे ये गलती हुई है कि एक फरवरी 2013 को हम यानि ताज मौहम्मद, गोविन्दपुर मृतका/पीड़िता के गॉव पहुँचा और सुबह को मृतका/पीड़िता शौच के लिए आयी थी मैं उसे अपनी गाड़ी में लेकर शिकारपुर आ गया और शिकारपुर में ताज मौहम्मद के साथ–साथ अभियुक्त बिजेन्द्र, कुलदीप, कृष्णा, सन्दीप और सद्दाम भी रहने लगे। मैं किसी काम के लिए बाहर गया तो मृतका/पीड़िता के साथ इन पॉचो अभियुक्तगण ने बलात्कार किया। जब मृतका/पीड़िता बलात्कार से परेशान हो गयी तो उसने कहा या तो मुझे छोड़ दो नहीं तो मैं अपने बाप व पुलिस से कहूँगी तो ताज मौहम्मद ने कहा चलो तुम्हे ताज महल दिखा लाऊ और ताजमहल दिखाने के बहाने इगलाश के जंगल में ले जाकर गोली मारकर मृतका/पीड़िता को हत्या कर दी। हत्या इसलिए कर दी क्योंकि मृतका/पीड़िता ने अपने मॉ बाप को बताने व पुलिस को बताने की धमकी दी थी। इसलिए हमने उसको मार दिया।"।

57.1 उक्त साक्षीगण से बचाव पक्ष की ओर विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गयी, किंतु उक्त साक्षीगण की प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई तथ्य उभरकर नहीं आया जिससे इस साक्षी के कथन पर अविश्वास की स्थिति उत्पन्न होती हो।

58. साक्षी *पी०डब्लू02* इरशाद अली द्वारा न्यायालय के समक्ष अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया किः

"........... दिनॉक 12–02–2013 को मैं दोपहर 03:00 बजे करीब सासनी गेट चौराहे पर अपने साथी कासिम के साथ चाय पी रहा था। कासिम मेरे साथ कपड़े का व्यापार करता था। जब हम चाय पी रहे थे, उसी समय एक मारूति वैन चाय की दुकान के पास आकर रूकी थी। उसमें 06 लोग बैठे थे। वैन में ताज मौहम्मद, सद्दाम, बिजेन्द्र, कुलदीप, कृष्णा और मृतका/पीड़िता जो कि मेरे साले की लड़की थी बैठे थे। ये लोग उतरकर आपस में बातचीत कर रहे थे। मैंने इनकी बातें सुनी थी। इन लड़कों की उम्र उस समय 20–30 वर्ष की थी। इन्होंने बातचीत में कहा था कि मृतका/पीड़िता को मथुरा लेकर चलते हैं। फिर ये लोग उसी मारूति वैन में बैठकर मथुरा रोड की तरफ चले गये थे। मैं और कासिम उसके बाद अपने घर को आ गये थे। पुलिस ने मुझे करीब एक डेढ महीने बाद क्वारसी थाना बुलाया था। पुलिस वालों ने मुझे मृतका/पीड़िता का फोटो दिखाकर पूछताछ की थी तो मैंने पुलिस को बताया कि यह मेरे साले की लड़की है। दरोगाजी ने मेरा बयान लिया था।

58.1 इस साक्षी से बचाव पक्ष की ओर विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गयी, प्रतिपरीक्षा में भी उपरोक्त साक्षी ने परस्पर रूप से एवं स्पष्ट कथन किया है कि इसने अभियुक्तगण द्वारा पीड़िता/मृतका को गाड़ी में ले जाते हुए देखा था। इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई तथ्य उद्धृत नहीं हुआ जिससे इस साक्षी के कथन पर इसके विरूद्ध किसी संदेहास्पद स्थिति का निर्माण होता हो।

59. सारतः अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अंतिम दृष्टया साक्षी ने अपने कथन में जिस प्रकार का वर्णन किया है उससे उपरोक्त साक्षी की उस स्थान पर उपस्थिति स्वाभाविक व नैसर्गिक प्रतीत होती है जहाँ से अभियोजन कथनाक के अनुसार

मृतका/पीड़िता को अभियुक्तगण द्वारा गाड़ी में बैठाकर ले जाया गया। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त साक्षी ने मृतका/पीड़िता को अभियुक्तगण के साथ कार में कथित दिनांक व समायानुसार जाने का समानार्थ कथन किया है जिसमें किसी प्रकार का तात्विक विरोधाभास प्रतीत नहीं हो।

60. उल्लेखनीय है कि पी०डब्लू. 01 ने अपनी तहरीर व मुख्य परीक्षा में अपनी पुत्री मृतका/पीडिता के लापता होने सम्बन्धी कथन किये इसके पश्चात् पी0डब्लू01 व पी.डब्लू.–2 (सत्र परीक्षण सं0–834/2013) ने यह कथन किया कि अभियुक्तगण ने ही वादी मुकदमा की पुत्री का अपह्रण कर उसके साथ बलात्कार किया तत्पश्चात् इगलाश के जंगल में ले जाकर उसकी हत्या कर दी। पी.डब्लू.–2 (सत्र परीक्षण सं0–834/2013) द्वारा किया गया उपरोक्त कथन अभियुक्तगण की न्यायिकेत्तर संस्वीकृति पर आधारित है परन्तु अभियुक्तगण द्वारा पी.डब्लू.–2 (सत्र परीक्षण सं0–834/2013) के समक्ष जिस प्रकार से घटनाक्रम, घटना की श्रंखला, घटना किये जाने की कार्यशैली, घटना का स्थान आदि का वर्णन किया गया है उसकी सम्पुष्टि पूर्ण रूप से ना केवल औपचारिक साक्षीगण द्वारा की गयी है बल्कि पी.डब्लू.–2 ने स्पष्ट रूप से न्यायालय के समक्ष आकर अभियुक्तगण द्वारा पीडिता को ले जाते हुए देखा जिसके पश्चात् पीडिता इगलाश के जंगल में मृत पायी गयी तथा उसके शरीर पर शुक्राणु भी पाये गये जिसकी सम्पुष्टि चिकित्सक साक्षी पी.डब्लू.–6 डॉ0 प्रमोद कुमार द्वारा की गयी। पत्रावली पर ऐसा कोई तथ्य उजागर नहीं हुआ जिससे यह परिलक्षित होता हो अभियुक्तगण को पीड़िता के साथ पी.डब्लू.–2 द्वारा देखे जाने के पश्चात् पीडिता/मृतका को किसी अन्य व्यक्ति के साथ देखा गया हो। साक्षीगण के साक्ष्य का सजगता से परीक्षण करने पर उपलब्ध अभियोजन साक्षी साक्ष्य पूर्णतः विश्वसनीय परिलक्षित होते हैं। पोस्टमार्टम आख्या के परिशीलन से यह भी विदित् हुआ कि मृतका की मृत्यु सिर में गोली लगने से यानि फायर आर्म के कारण हुयी है जिसकी सम्पुष्टि चिकित्सक साक्षी पी.डब्ल.–7 डॉ0 मनोज कुमार द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में की गयी। सारतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि जिन परिस्थितियों में पीड़िता/मृतका का गुमशुदा होना तथा उसके पश्चात् उसके साथ घटना कारित होना अभियोजन द्वारा अंकित कराया गया है, उन्हीं परिस्थितियों की विशिष्ट रूप से सम्पुष्टि विवेचक एवं चिकित्सक साक्षी द्वारा की गयी है और उन्ही परिस्थितियों की अपराध के रूप में विनिर्दिष्ट रूप से पी0डब्लू01 व पी.डब्लू.–2 (सत्र परीक्षण सं0–834/2013) के समक्ष अभियुक्तगण द्वारा न्यायेकित्तर संस्वीकृति भी की गयी है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर एक प्रबल परिस्थिति अभियुक्तगण के विरूद्ध उत्पन्न होती है।

61. उल्लेखनीय है कि वर्तमान मामले में अभियुक्तगण की दोषसिद्धि केवल और केवल न्यायिकेत्तर संस्वीकृति पर आधारित नहीं है। बल्कि वर्तमान प्रकरण में मुख्यतः अन्तिम दृष्टया साक्ष्य, अभियोजन साक्षीगण के कथन में समानता, मृतका के शरीर पर आयी प्राणघातक चोट की प्रकृति तथा मृतका के शरीर पर शुक्राणुओं के पाये जाने का चिकित्सीय साक्ष्य से सम्पुष्ट होना, अपराधजन्य परिस्थिति की अटूट श्रृंखला का निर्माण जैसे अनेक प्रासंगिक बिन्दु मौजूद हैं जो अकाट्य रूप से अभियुक्तगण ताज मौहम्मद उर्फ ताज, कृष्णा, बिजेन्द्र व सद्दाम के साथ साथ अभियुक्त कुलदीप उर्फ राजा के दोषी होने की ओर इंगित करते हैं तथा जिनके आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अपराध उक्त अभियुक्तगण के अतिरिक्त किसी अन्य के द्वारा कारित नहीं किया गया है।

62. परिणामतः प्रयोज्य विधि व्यवस्था में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांत, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य तथा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस के विश्लेषण उपरान्त यह सिद्ध हो चुका है कि अभियुक्त कुलदीप अन्य अभियुक्तगण ताज मौहम्मद, कृष्णा, बिजेन्द्र व सद्दाम के साथ वादी मुकदमा लियाकत अली की नाबालिग पुत्री पीड़िता/मृतका को संरक्षण से व्यपहरण कर ले गये, अयुक्त संभोग के आशय से व्यपहरण कर ले गये, उसके साथ बलात्कार किया तथा बलात्कार करने के पश्चात् उसकी हत्या कर उसके शव को छिपा दिया।

63. इस प्रक्रम पर उल्लेखनीय है कि चूँकि वर्तमान प्रकरण में घटना अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में कारित किया जाना उजागर हुआ है तद्नुसार उपरोक्त अभियुक्तगण की दोषसिद्धि धारा–34 भा.दं.सं. के तहत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है जैसा कि धारा–34 भा.दं.सं. का मन्तव्य स्पष्ट है, क्योंकि धारा–34 भा.दं.सं. यह स्पष्ट रूप से घोषित करती है कि जब कोई अपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सामान्य आशय को अग्रसरण करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में हर व्यक्ति उस कार्य के लिये उसी प्रकार दायित्वाधीन है, मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया है। इस प्रकार यहाँ यह भी उल्लिखित किया जाना असंगत नहीं है कि धारा–34 भा.दं.सं दाण्डिक (पीनल) उपबंध नहीं है बल्कि यह धारा केवल आपराधिक दायित्व के सिद्धान्त को प्रमुखता से प्रतिपादित करती है।

–जयभगवान बनाम हरियाणा स्टेट 1999 कि.एल.जे. 1634 एस.सी. के न्यायिक दृष्टान्त में अवधारित किया गया है कि प्रत्येक मामले में सामान्य आशय का प्रत्यक्ष साक्ष्य होना संभव नहीं है, सामान्य आशय का प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों से अनुमान लगाया जाता है।

–माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **ऋषीदेव पाण्डेय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए. 'आई.आर. 1955 सु०को० 331** के न्यायिक दृष्टान्त में अवधारित किया है कि कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में सामान्य आशय घटनास्थल पर भी उत्पन्न हो सकता है, जिसे मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों और अभियुक्त के आचरण से निश्चित किया जाता है।

–मध्यप्रदेश राज्य बनाम देशराज 2004 कि.ला.जा. (1415) (सु.को.) के मामले में यह अवधारित किया गया है कि धारा–34 को किसी आपराधिक कृत्य को किये जाने के सयुंक्त दायित्व के सिद्धान्त पर अधिनियमित किया गया है। यह धारा साक्ष्य का एक नियम मानी गयी है और इससे किसी सारभूत अपराध का सृजन नहीं होता। धारा की प्रभेदकारी विशेषता कृत्य में भागीदारी का तत्व है।

64. इस प्रक्रम पर यह उल्लेख किया जाना भी महत्वपूर्ण होगा कि वर्तमान प्रकरण में घटना दिनांक–01.02.2013 को घटित होना तहरीर तथा न्यायालयीन साक्ष्य से उजागर हुआ है। चूँकि घटना घटित होने के दिवस भारतीय दण्ड संहिता में धारा–376डी–सामूहिक बलात्संग प्रभावी नहीं था जिसके कारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–376डी (सामूहिक बलात्संग) का आरोप विरचित ना करते हुए मात्र 376 का आरोप अधिरोपित किया गया है।

65. साक्ष्य पर विचारोपरान्त किसी निष्कर्ष पर पहुँचने से पूर्व अब धारावार यह देखा जाना है कि अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराधों के सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता की धारा में अन्तर्वलित संघटकों/अवयवों को अपने साक्ष्य से साबित किया गया है अथवा नही? उपरोक्त की कसौटी पर ही वर्तमान में आये तथ्यों एवं साक्ष्यों को परखा जायेगा।

66. अवधार्य बिन्दु के सम्यक निस्तारण के लिए सर्वप्रथम यह देखा जाना है कि भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आपराधिक मानव वध, जो हत्या है

तथा ऐसा आपराधिक मानव वध, जो हत्या नहीं है, के तत्व क्या हैं? निश्चित रूप से इस तथ्य को समझने के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा–299 व धारा–300 की परिभाषा को देखा जाना आवश्यक है–

67. भारतीय दण्ड संहिता का अध्याय 16 में धारा 299 के अन्तर्गत आपराधिक मानव वध के अपराध को परिभाषित किया गया हैः–

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 299– आपराधिक मानव वध– जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से, या ऐसे शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से, जिससे मृत्यु कारित हो जाना सम्भाव्य हो, या यह ज्ञान रखते हुए कि यह सम्भाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है , वह आपराधिक मानव वध का अपराध कारित करता है।

भारतीय दण्ड संहिता का अध्याय 16 में धारा 300 के अन्तर्गत हत्या के अपराध को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसारः–

धारा 300–हत्या–एतस्मिन पश्चात् अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या है,

पहला– यदि वह कार्य, जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गयी हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, अथवा

दूसरा– यदि वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो, जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है, जिसको वह अपहानि कारित की गयी है, अथवा

तीसरा–यदि वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो और वह शारीरिक क्षति, जिसके कारित करने का आशय हो, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने लिए पर्याप्त हो, अथवा

चौथा– यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्न संकट है कि पूरी अधिसम्भाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रतिहेतु के बिना ऐसा कार्य करे।

यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि आपराधिक मानव वध कब हत्या नहीं है। इसकी पाँच आपवादिक दशाएँ है–

अपवाद 1–यदि अपराधी गम्भीर या अचानक प्रकोपन से आत्म–संयम की शक्ति से वंचित हो।

अपवाद 2–यदि अपराधी शरीर या सम्पत्ति की प्राईवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का सद्भावपूर्वक प्रयोग करते हुए शक्ति का अतिक्रमण कर दे।

अपवाद 3–यदि कोई लोक सेवक लोक न्याय की अग्रसरता में कार्य कर रहा हो।

अपवाद 4–यदि मानव वध अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में पूर्व चिन्तन के बिना या क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति से कार्य किये बिना किया गया हो।

अपवाद 5— यदि व्यक्ति जिसकी मृत्यु कारित की गयी हो, वह 18 वर्ष की आयु से अधिक का होते हुए अपनी सहमति से मृत्यु होना सहन करे या मृत्यु की जोखिम उठाये।

68. भारतीय दण्ड संहिता की धारा—34 के अनुसार— सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किये गये कार्य—जब कि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानों वह कार्य अकेले उसी ने किया हो।

69. ऊपरोल्लिखित विवेचन से यह स्पष्ट है कि अभियोजन अपने साक्षीगण पी0डब्लू01 लियाकत अली, पी0डब्लू02 इरशाद अली, पी0डब्लू03 रिटायर्ड डी0एस0पी0 अम्बिका प्रसाद भारद्वाज, पी0डब्लू04 रिटायर्ड उप—निरीक्षक सेवाराम शर्मा, पी0डब्लू05 रिटायर्ड उप—निरीक्षक विशम्बर सिंह, पी0डब्लू06 सेवानिवृत्त प्रमुख अधीक्षक डॉ0 प्रमोद कुमार, पी0डब्लू07 डॉ0 मनोज कुमार श्रीवास्तव, पी0डब्लू08 रामदरश यादव के साक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित करने में सफल रहा है कि दिनॉक 01—02—2013 से दिनॉक 14—02—2013 के मध्य किसी समय किसी स्थान पर अभियुक्त कुलदीप उर्फ राजा द्वारा अन्य अभियुक्तगण ताज मौहम्मद उर्फ ताज, कृष्णा, बिजेन्द्र व सद्दाम के साथ मिलकर एक राय होकर साशय व ज्ञानपूर्वक वादी लियाकत अली की नाबालिग पुत्री की हत्या की गयी।

70. धारा 363 भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार— व्यपहरण के लिए दण्ड— जो कोई, भारत में से या विधिपूर्ण संरक्षकता में से किसी व्यक्ति का व्यपहरण करेगा, वह दोनों में से किसी भॉति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

ऊपरोल्लिखित विवेचन से यह स्पष्ट है कि अभियोजन अपने साक्षीगण पी0डब्लू01 लियाकत अली, पी0डब्लू02 इरशाद अली, पी0डब्लू03 रिटायर्ड डी0एस0पी0 अम्बिका प्रसाद भारद्वाज, पी0डब्लू04 रिटायर्ड उप—निरीक्षक सेवाराम शर्मा, पी0डब्लू05 रिटायर्ड उप—निरीक्षक विशम्बर सिंह, पी0डब्लू06 सेवानिवृत्त प्रमुख अधीक्षक डॉ0 प्रमोद कुमार, पी0डब्लू07 डॉ0 मनोज कुमार श्रीवास्तव, पी0डब्लू08 रामदरश यादव के साक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित करने में सफल रहा है कि दिनॉक 01—02—2013 को समय सुबह के समय घ टनास्थल ग्राम गोविन्दपुर थाना डिबाई, जिला बुलन्दशहर में अभियुक्त कुलदीप उर्फ राजा द्वारा अन्य अभियुक्तगण ताज मौहम्मद उर्फ ताज, कृष्णा, बिजेन्द्र व सद्दाम के साथ मिलकर एक राय होकर वादी लियाकत अली की नाबालिग पुत्री जो शौच के लिए गयी थी, का उसके माता—पिता की संरक्षणता से व्यपहरण कर ले गये ।

71. धारा 366 भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार — विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए स्त्री को व्यपहृत करना— जो कोई किसी स्त्री का व्यपहरण या अपहरण उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए उस स्त्री को विवश करने के आशय से या वह विवश की जायेगी, यह सम्भाव्य जानते हुए अथवा अयुक्त संभोग करने के लिए उस स्त्री को विवश या विलुब्ध करने के लिए या वह स्त्री अयुक्त सम्भोग करने के लिए विवश या विलुब्ध की जायेगी, यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा, वह दोनों में से किसी भॉति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी दण्डित किया जायेगा

और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा और जो कोई किसी स्त्री को किसी अन्य व्यक्ति से अयुक्त सम्भोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या यह विवश या विलुब्ध की जायेगी, यह सम्भाव्य जानते हुए इस संहिता में यथापरिभाषित आपराधिक अभित्रास द्वारा अथवा प्राधिकार के दुरूपयोग या विवश करने के अन्य साधन द्वारा उस स्त्री को किसी स्थान से जाने को उत्प्रेरित करेगा, वह भी पूर्वोक्त प्रकार से दण्डित किया जायेगा।

ऊपरोल्लिखित विवेचन से यह स्पष्ट है कि अभियोजन अपने साक्षीगण पी0डब्लू01 लियाकत अली, पी0डब्लू02 इरशाद अली, पी0डब्लू03 रिटायर्ड डी0एस0पी0 अम्बिका प्रसाद भारद्वाज, पी0डब्लू04 रिटायर्ड उप–निरीक्षक सेवाराम शर्मा, पी0डब्लू05 रिटायर्ड उप–निरीक्षक विशम्बर सिंह, पी0डब्लू06 सेवानिवृत्त प्रमुख अधीक्षक डॉ0 प्रमोद कुमार, पी0डब्लू07 डॉ0 मनोज कुमार श्रीवास्तव, पी0डब्लू08 रामदरश यादव के साक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित करने में सफल रहा है कि क दिनॉक 01–02–2013 को समय सुबह के समय घ टनास्थल ग्राम गोविन्दपुर थाना डिबाई, जिला बुलन्दशहर में अभियुक्त कुलदीप उर्फ राजा द्वारा अन्य अभियुक्तगण ताज मौहम्मद उर्फ ताज, कृष्णा, बिजेन्द्र व सद्दाम के साथ मिलकर एक राय होकर वादी लियाकत अली की नाबालिग पुत्री जो शौच के लिए गयी थी, अभियुक्त अभियुक्त कुलदीप उर्फ राजा द्वारा अन्य अभियुक्तगण ताज मौहम्मद उर्फ ताज, कृष्णा, बिजेन्द्र व सद्दाम के साथ मिलकर एक राय होकर वादी लियाकत अली की नाबालिग पुत्री को अयुक्त संभोग करने के आशय से व्यपहरण कर ले गये।

72. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 बलात्संग के दण्ड– (1) जो कोई उपधारा (2) में उपबन्धित मामलों के सिवाय बलात्संग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और वह जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

बलात्संग की परिभाषा, दण्ड विधि **(संशोधन) अधिनियम 2013 (2013 का 13) की धारा–09 द्वारा धारा 375** के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है, जो वर्ष 2013 से प्रभावी है, धारा 375 भारतीय दण्ड संहिता में वर्णित है जो निम्न प्रकार हैः–

धारा 375 भारतीय दण्ड संहिता –बलात्संग – मनुष्य ''बलात्संग'' करता है, यह कहा जाता है , यदि वह व्यक्ति–

(क) किसी स्त्री की योनि, उसके मुँह, मूत्रमार्ग या गुदा में अपना लिंग किसी भी सीमा तक प्रवेश करता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है, या

(ख) किसी स्त्री की योनि, उसके मुँह, मूत्रमार्ग या गुदा में ऐसी कोई वस्तु या शरीर का कोई भाग, जो लिंग न हो, किसी भी सीमा तक अनुप्रविष्ट करता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है, या

(ग) किसी स्त्री के शरीर के किसी अंग से इस प्रकार हस्तसाधन करता है जिससे ऐसी स्त्री की योनि, गुदा, मूत्रनली या शरीर के किसी अंग में प्रवेशन कारित किया जा सके या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है, या

(घ) किसी स्त्री की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग पर अपना मुँह लगाता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है, तो उसके बारे

में यह कहा जायेगा कि उसने बलात्संग किया है, जहाँ ऐसा निम्नलिखित सात भांति की परिस्थितियों में किसी के अधीन किया जाता हैः–

पहला– उस स्त्री की इच्छा के विरूद्ध,

दूसरा– उस स्त्री की सम्मति के बिना,

तीसरा– उस स्त्री की सम्मति से, जब कि उसकी सम्मति उसे या ऐसे किसी व्यक्ति को, जिससे वह हितबद्ध है, मृत्यु या उपहति के भय में डालकर अभिप्राप्त की गयी है,

चौथा– उस स्त्री की सम्मति से, जबकि वह पुरूष यह जानता है कि वह उस स्त्री का पति नहीं है तथा उस स्त्री ने सम्मति इसलिए दी है कि वह विश्वास करती है कि वह ऐसा पुरूष है जिससे वह विधिपूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है।

पाँचवा–उस स्त्री की सम्मति से, जबकि ऐसी सम्मति देने के समय वह विकृत चित्त या मत्तता के कारण या उस पुरूष द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई संज्ञा शून्यकारी या अस्वास्थ्यकर पदार्थ सेवन कराये जाने के कारण, उस बात की जिसके बारे में वह सम्मति देती है, प्रकृति तथा परिणामों को समझने में असमर्थ है,

छठवाँ–उस स्त्री की सम्मति से या बिना सम्मति के, जबकि वह अठारह वर्ष से कम आयु की है,

सातवाँ –जब वह स्त्री सम्मति संसूचित करने में असमर्थ है।

स्पष्टीकरण 1–इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''योनि'' में बृहद भगोष्ठ भी शामिल होगा।

स्पष्टीकरण 2–सम्मति से कोई स्पष्ट स्वैच्छिक सहमति अभिप्रेत है, जब स्त्री शब्दों, भावभंगिमाओं या मौखिक या गैर मौखिक संसूचना के किसी भी रूप द्वारा विनिर्दिष्ट कार्य में भागीदारी करने की रजामन्दी संसूचित करती है, परन्तु यह कि वह स्त्री, जो शारीरिक रूप से प्रवेशन के कार्य का प्रतिरोध नहीं करती, केवल उसी तथ्य के कारण यौन क्रिया–कलाप में सहमति देने वाली नहीं मानी जायेगी।

अपवाद–1 किसी चिकित्सीय प्रक्रिया या अंतः प्रवेशन से बलात्संग गठित नहीं होगी।

अपवाद–2 किसी पुरूष का अपनी स्वंय की पत्नी के साथ, मैथुन या यौन क्रिया यदि पत्नी पन्द्रह वर्ष से कम आयु की न हो, बलात्संग नहीं है।

ऊपरोल्लिखित विवेचन से यह स्पष्ट है कि अभियोजन अपने साक्षीगण पी0डब्लू01 लियाकत अली, पी0डब्लू02 इरशाद अली, पी0डब्लू03 रिटायर्ड डी0एस0पी0 अम्बिका प्रसाद भारद्वाज, पी0डब्लू04 रिटायर्ड उप–निरीक्षक सेवाराम शर्मा, पी0डब्लू05 रिटायर्ड उप–निरीक्षक विशम्बर सिंह, पी0डब्लू06 सेवानिवृत्त प्रमुख अधीक्षक डॉ0 प्रमोद कुमार, पी0डब्लू07 डॉ0 मनोज कुमार श्रीवास्तव, पी0डब्लू08 रामदरश यादव के साक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित करने में सफल रहा है कि दिनॉक 01–02–2013 से दिनॉक 14–02–2013 के मध्य किसी समय स्थान अज्ञात पर अभियुक्त कुलदीप उर्फ राजा द्वारा वादी लियाकत अली की नाबालिग पुत्री के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध बलात्संग किया गया।

73. धारा–201 भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार–जा कोई यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के किये जाने के किसी साक्ष्य का विलोपन इस आशय से कारित

किया गया है, उस अपराध के किये जाने के किसी साक्ष्य का विलोप इस आशय से कारित करेगा कि अपराधी को वैध दण्ड से प्रतिच्छादित करे या उस आशय से उस अपराध से सम्बन्धित कोई ऐसी इत्तिला देगा, जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है।

ऊपरोल्लिखित विवेचन से यह स्पष्ट है कि अभियोजन अपने साक्षीगण पी0डब्लू01 लियाकत अली, पी0डब्लू02 इरशाद अली, पी0डब्लू03 रिटायर्ड डी0एस0पी0 अम्बिका प्रसाद भारद्वाज, पी0डब्लू04 रिटायर्ड उप–निरीक्षक सेवाराम शर्मा, पी0डब्लू05 रिटायर्ड उप–निरीक्षक विशम्बर सिंह, पी0डब्लू06 सेवानिवृत्त प्रमुख अधीक्षक डॉ0 प्रमोद कुमार, पी0डब्लू07 डॉ0 मनोज कुमार श्रीवास्तव, पी0डब्लू08 रामदरश यादव के साक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित करने में सफल रहा है कि दिनॉक 01–02–2013 से दिनॉक 14–02–2013 के मध्य किसी समय किसी स्थान पर अभियुक्त कुलदीप उर्फ राजा द्वारा अन्य अभियुक्तगण ताज मौहम्मद उर्फ ताज, कृष्णा, बिजेन्द्र व सद्दाम के साथ मिलकर एक राय होकर साशय व ज्ञानपूर्वक वादी लियाकत अली की नाबालिग पुत्री की हत्या की और दिनॉक 01–02–2013 से दिनॉक 14–02–2013 के मध्य किसी समय किसी स्थान पर अभियुक्त कुलदीप उर्फ राजा द्वारा अन्य अभियुक्तगण ताज मौहम्मद उर्फ ताज, कृष्णा, बिजेन्द्र व सद्दाम के साथ मिलकर एक राय होकर वादी मुकदमा की पुत्री की हत्या करके साक्ष्य का विलोपन करने के उद्देश्य से उसके शव को अतर सिंह पुत्र भंवर सिंह, निवासी ग्राम अमरपुर, थाना इगलास, जिला अलीगढ़ के खेत में फेंक दिया।

74. ऊपरोल्लिखित विवेचन, विधिक व्यवस्थाओं, पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के समग्र विश्लेषण से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि अभियोजन अपने साक्षीगण पी0डब्लू01 लियाकत अली, पी0डब्लू02 इरशाद अली, पी0डब्लू03 रिटायर्ड डी0एस0पी0 अम्बिका प्रसाद भारद्वाज, पी0डब्लू04 रिटायर्ड उप–निरीक्षक सेवाराम शर्मा, पी0डब्लू05 रिटायर्ड उप–निरीक्षक विशम्बर सिंह, पी0डब्लू06 सेवानिवृत्त प्रमुख अधीक्षक डॉ0 प्रमोद कुमार, पी0डब्लू07 डॉ0 मनोज कुमार श्रीवास्तव, पी0डब्लू08 रामदरश यादव के साक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित करने में सफल रहा है कि दिनॉक 01–02–2013 को समय सुबह के समय घटनास्थल ग्राम गोविन्दपुर थाना डिबाई, जिला बुलन्दशहर में अभियुक्त कुलदीप उर्फ राजा द्वारा अन्य अभियुक्तगण ताज मौहम्मद उर्फ ताज, कृष्णा, बिजेन्द्र व सद्दाम के साथ मिलकर एक राय होकर वादी लियाकत अली की नाबालिग पुत्री जो शौच के लिए गयी थी, का उसके माता–पिता की संरक्षणता से व्यपहरण कर लिया गया और अभियुक्त द्वारा उक्त अभियुक्तगण के साथ मिलकर एक राय होकर वादी लियाकत अली की नाबालिग पुत्री का अयुक्त संभोग करने के आशय से व्यपहरण कर ले जाया गया। दिनॉक 01–02–2013 से दिनॉक 14–02–2013 के मध्य किसी समय स्थान अज्ञात पर अभियुक्त कुलदीप उर्फ राजा द्वारा वादी लियाकत अली की नाबालिग पुत्री के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध बलात्संग किया गया और दिनॉक 01–02–2013 से दिनॉक 14–02–2013 के मध्य किसी समय किसी स्थान पर अभियुक्त द्वारा अन्य अभियुक्तगण ताज मौहम्मद उर्फ ताज, कृष्णा, बिजेन्द्र व सद्दाम के साथ मिलकर एक राय होकर साशय व ज्ञानपूर्वक वादी लियाकत अली की नाबालिग पुत्री की हत्या की गयी और दिनॉक 01–02–2013 से दिनॉक 14–02–2013 के मध्य किसी समय किसी स्थान पर अभियुक्त कुलदीप उर्फ राजा द्वारा अन्य अभियुक्तगण ताज मौहम्मद उर्फ ताज, कृष्णा, बिजेन्द्र व सद्दाम के साथ

मिलकर एक राय होकर वादी मुकदमा की पुत्री की हत्या करके साक्ष्य का विलोपन करने के उद्देश्य से उसके शव को अतर सिंह पुत्र भंवर सिंह, निवासी ग्राम अमरपुर, थाना इगलास, जिला अलीगढ़ के खेत में फेंक दिया गया। तद्नुसार अभियुक्त कुलदीप उर्फ राजा धारा 363 सपठित धारा–34, 366 सपठित धारा–34, 376, 201 सपठित धारा–34, 302 सपठित धारा–34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है, तदनुसार आदेश पारित है।

आदेश

75. अभियुक्त कुलदीप उर्फ राजा को सत्र परीक्षण सं0–452/2015, मुकदमा अपराध संख्या–114/2013, थाना डिबाई, जिला बुलन्दशहर के मामले में धारा 363 सपठित धारा–34, 366 सपठित धारा–34, 376, 201 सपठित धारा–34, 302 सपठित धारा–34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है।

76. अभियुक्त कुलदीप उर्फ राजा न्यायिक अभिरक्षा में उपस्थित है। उसके जमानतनामें व व्यक्तिगत बन्ध पत्र निरस्त किये जाते हैं और उसके जमानतदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। उक्त अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये।

77. अभियुक्त की ओर से कहा गया है कि उसे जिस आरोप में दोषसिद्ध किया गया है, उसके सम्बन्ध में दण्ड के प्रश्न पर सुनकर आज ही आदेश पारित कर दिया जाये, जिस पर अभियोजन की ओर से कोई आपत्ति नही की गयी है। तद्नुसार दोनों पक्षों की सहमति पर दण्ड के प्रश्न पर दोषसिद्ध अभियुक्तगण को सुनने हेतु पत्रावली पुनः पेश हो।

दिनॉक 16.07.2026

(शिवा नन्द)
अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय
न्याय कक्ष संख्या–01, बुलन्दशहर।
J-O- Code- No- UP 1622

दिनॉक 16.07.2026

78. पत्रावली पुनः प्रस्तुत हुई। पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई। अभियुक्त कुलदीप उर्फ राजा व उसके विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0) को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया।

79. अभियुक्त कुलदीप उर्फ राजा व उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि वह 32 वर्ष का है, विवाहित है, अत्यंत गरीब आदमी है, मजदूरी करता है। पत्नी व दो छोटे–छोटे बच्चों की जिम्मेदारी उसी पर है। विधवा मॉ है, बाप नहीं हैं, उसकी मॉ को हृदय का रोग है जिसका ऑपरेशन होना है, उसके परिवार में उसके अतिरिक्त कोई देख–रेख करने वाला नहीं है, उसे कम से कम सजा से दण्डित किया जाये।

80. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्तागण (फौजदारी) की ओर से तर्क किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित जघन्य अपराध की गम्भीरता को देखते हुए कठोरतम दण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की गयी है।

81. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया। इस सम्बन्ध में **अरविन्द उर्फ मुन्नू बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० 2016(92) ACC 191 इलाहाबाद हाई कोर्ट में निर्णयज विधि सुमेर सिंह बनाम सूरजभान सिंह एवं अन्य 2014 (86) ACC 325**

(ACC) को उदधृत करते हुए यह व्यवस्था दी गयी है कि दण्ड अभिनिर्णीत करने का प्रश्न विवेक का मामला है, जिसका प्रयोग प्रत्येक मामलें की परिस्थितियों पर विचार करके किया जाना चाहिए। विधि स्थापित है कि दण्ड की मात्रा अपराध की गम्भीरता के समानुपात में होनी चाहिए।

82. इस संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था ***बचन सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1980 (2) एस.सी.सी. 684*** तथा ***मच्छी सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1983 क्रिमिनल लॉ जनरल 1457*** में मृत्युदण्ड के संबंध में प्रतिपादित सिद्धान्त भी अवलोकनीय है। अभियुक्त की ओर से कहा गया है कि वह 32 वर्ष का है, विवाहित है, अत्यंत गरीब आदमी है, मजदूरी करता है। पत्नी व दो छोटे–छोटे बच्चों की जिम्मेदारी उसी पर है। विधवा मॉ है, बाप नहीं हैं, उसकी मॉ को हृदय का रोग है जिसका ऑपरेशन होना है, उसके परिवार में उसके अतिरिक्त कोई देख–रेख करने वाला नहीं है। दोषसिद्ध अभियुक्त द्वारा कारित किया गया अपराध गम्भीर तो है किन्तु इस न्यायालय के मत में अपराध का सामाजिक प्रभाव ऐसा नहीं है कि जिससे कि पूर्ण समाज उद्वेलित हो जाये अथवा अपराध की प्रकृति ऐसी नहीं है कि जो मामले को विरलतम बनाती है। अभियुक्त की पारिवारिक स्थिति, उनकी आयु व वाद के तथ्य एवं परिस्थितियों को तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त विधिक सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तुत वाद *Rarest of the rare* की श्रेणी में नहीं पाया जाता है।

83. अतः वर्तमान तथ्यों, परिस्थितियों व न्याय की मंशा की प्रतिपूर्ति को दृष्टिगत रखते हुये दोषसिद्ध अभियुक्त को निम्नानुसार दण्डादिष्ट किया जाता है–

आदेश

84. दोषसिद्ध अभियुक्त कुलदीप उर्फ राजा को धारा 302 सपठित धारा–34 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कारित अपराध के लिये **आजीवन कारावास** तथा **20,000/–रूपए** (बीस हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, दोषसिद्ध अभियुक्त के द्वारा अर्थदण्ड धनराशि जमा न किए जाने पर अभियुक्त को 80 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा।

85. दोषसिद्ध अभियुक्त कुलदीप उर्फ राजा को धारा 376 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में **10 (दस वर्ष)** वर्ष के कठोर कारावास एवं **5000/– रूपए** (पॉच हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने पर 20 (बीस दिन) दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा।

86. दोषसिद्ध अभियुक्त कुलदीप उर्फ राजा को धारा 363 सपठित धारा–34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में **04 (चार वर्ष)** वर्ष के कठोर कारावास एवं **5000/– रूपए** (पॉच हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। दोषसिद्ध अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने पर 20 (बीस दिन) दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा।

87. दोषसिद्ध अभियुक्त कुलदीप उर्फ राजा को धारा 366 सपठित धारा–34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में **05 (पॉच वर्ष)** वर्ष के कठोर कारावास एवं **5000/– रूपए** (पॉच हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। दोषसिद्ध अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने पर 20 (बीस दिन) दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा।

88. दोषसिद्ध अभियुक्त कुलदीप उर्फ राजा को धारा 201 सपठित धारा–34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में **02 (दो वर्ष)** वर्ष के कठोर कारावास एवं

2000/— रूपए (दो हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। दोषसिद्ध अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने पर 08 (आठ दिन) दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा।

89. सभी सजायें साथ–साथ चलेंगी।

90. दोषसिद्ध अभियुक्त को धारा–428 दण्ड प्रक्रिया संहिता का लाभ देते हुए उसके द्वारा इन मामले में पूर्व में जिला कारागार में बितायी गयी अवधि, उपरोक्त सजा में समायोजित की जायेगी। दोषसिद्ध अभियुक्त का सजायावी वारण्ट तैयार कर जिला कारागार, बुलन्दशहर भेजा जाये।

91. माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **अंकुश शिवाजी गायकवाड़ बनाम महाराष्ट्र राज्य ((2013) 6 एस.सी.सी. 770)** में यह विधिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि सभी विचारण न्यायालय द्वारा अनिवार्य तौर पर मृतक के आश्रितों को प्रतिकर प्रदान करने या प्रदान न करने के बारे में विचार किया जाना चाहिये। प्रतिकर धनराशि प्रदान किया जाना या न किया जाना न्यायालय के विवेकाधिकार में है और अगर कोई प्रतिकर अदा करने या अदा न करने का आदेश पारित किया गया है तो उक्त कारणों को न्यायालय द्वारा अंकित किया जाना चाहिये। प्रस्तुत सत्र परीक्षण वाद में अभियुक्त द्वारा अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा लियाकत अली की पुत्री का व्यपहरण कर, बलात्संग कर उसकी हत्या की गयी है जिसके कारण मृतक के परिवार को आर्थिक व मानसिक क्षति हुई है अतः वाद के तथ्यों एवं परिस्थितयों को दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय के विचार में न्यायहित में अभियुक्त के विरूद्ध अधिरोपित अर्थदण्ड की धनराशि में से 80 प्रतिशत धनराशि वादी मुकदमा को बतौर प्रतिकर, बाद अपील अवधि तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार, देय होगी।

92. माल मुकदमाती को उक्त वाद की अपील अवधि उपरान्त या माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार निस्तारित किया जाये।

93. अभियुक्त को निर्णय की प्रति नियमानुसार अविलम्ब व निःशुल्क प्रदान की जाए।

94. इस निर्णय की एक प्रति धारा 365 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर को प्रेषित की जाये।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनॉक 16.07.2026

(शिवा नन्द)
अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय
न्याय कक्ष संख्या–01, बुलन्दशहर।
J-O- Code- No- UP 1622

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनॉक 16.07.2026

(शिवा नन्द)
अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय
न्याय कक्ष संख्या–01, बुलन्दशहर।
J-O- Code- No- UP 1622

सैयद वसी उर रहमान–स्टैनो